21

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं

इक्कीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जनवरी, 2022/माघ, 1943 (शक)

इक्कीसवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं

3 फरवरी, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
3 फरवरी, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जनवरी, 2022/माघ, 1943 (शक)

<u>सीओई सं.</u> 345

मूल्य: रु.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली –110001 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

		पृष्ठ सं
	समिति की संरचना (2021-22)	5
	समिति की संरचना (2020-21)	7
	प्राक्कथन	9
	संक्षेपाक्षरों की सूची	10
	भाग- एक **व्याख्यात्मक विश्लेषण**	
एक	प्रस्तावना	13
दो	भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी वित्तपोषण की स्थिति- वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में निधियों की आवश्यकता	17
तीन	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण में सहायता देने में इरेडा, पी एफ सी और आर ई सी की भूमिका	23
चार	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं	39
पाँच	नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय	52
	भाग- दो **समिति की सिफारिशें/टिप्पणियाँ**	55
	अनुबंध	
एक	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इरेडा की गैर - निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा	64
दो	**31** मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पीएफसी की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित गैर - निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा.	74
तीन	आरईसी की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित गैर - निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा	76
चार	समिति की 09 अप्रैल, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	77
पाँच	समिति की 27 जुलाई, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	81
छह	समिति की 05 अगस्त, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	84
सात	समिति की 22 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	88

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह – सभापति

सदस्य

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. श्री रमेश चन्द्रि कौशिक
8. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
9. श्री सुनील कुमार मंडल^
10. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
11. श्री अशोक महादेवराव नेते
12. श्री प्रवीन कुमार निषाद
13. श्री पी. वेलुसामी
14. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री अखिलेश यादव
21. रिक्त #

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
24. श्री राजेन्द्र गहलोत*

25. श्री मुजीबुल्ला खान
26. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
27. श्री एस. सेल्वागनबेथी*
28. श्री संजय सेठ
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. श्री के.टी.एस. तुलसी
31. रिक्त $

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी	–	संयुक्ते सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन	–	निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	–	अपर निदेशक
4. सुश्री दीपिका	–	समिति अधिकारी

^श्रीमती सजदा अहमद के 01.12.2021 से समिति का सदस्य नहीं रहने के कारण 01.12.2021 से समिति में सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

#समिति के गठन के समय से रिक्त।

*11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट ।

$श्री जुगलसिंह लोखंडवाला के 02.12.2021 से समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त ।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्रीमती साजदा अहमद
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
5. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. कुमारी शोभा कारान्दलाजे@
11. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
12. श्री अशोक महादेवराव नेते
13. श्री प्रवीन कुमार निषाद
14. श्रीमती अनुप्रिया पटेल@
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री जय प्रकाश
17. श्री दिपसिंह शंकरसिंह राठौड़^
18. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री पी. वेलुसामी
21. श्री अखिलेश यादव

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. इलेंगोवन
24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा

26. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला
27. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
28. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
29. श्री के.टी.एस. तुलसी
30. श्री जावेद अली खान*
31. रिक्त#

@ कुमारी शोभा कारान्दलाजे और श्रीमती अनुप्रिया पटेल को दिनांक 07.07.2021 से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किये जाने के कारण रिक्त

^ श्री दिपसिंह शंकरसिंह राठौड़ दिनांक 28.12.2020 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट

* श्री जावेद अली खान के दिनांक 25.11.2020 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त।

समिति के गठन के समय से रिक्त ।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय संबंधी यह इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 09 अप्रैल 2021 को इस विषय पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के प्रतिनिधियों से संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के प्रतिनिधियों का 27 जुलाई 2021 को साक्ष्य लिया गया। समिति ने विषय की विस्तृत जांच करने के दृष्टिगत 05 अगस्त 2021 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) लिमिटेड तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इरेडा, पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय की जांच से संबंधित जांच के मामलों पर वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करती है।

3. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
जनवरी 31, 2022
माघ 11, 1943 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

संक्षेपाक्षरों की सूची	
संक्षेपाक्षर	**पूरा नाम**
एबीएस	परिसंपत्ति आधारित प्रतिभूतिकरण
एडीबी	एशियन डेवलपमेंट बैंक
एएफडी	एजेंसी फ्रैन्काइसी डी डेवलपमेंट
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीईएसएस	बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीएफए	केन्द्रीय वित्त सहायता
सीपीएसयू	केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रम
सीआरएआर	पूंजी तथा जोखिमभारित आस्तियों का अनुपात
सीयूएफ	क्षमता उपयोग कारक
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीआरटी	ऋण वसूली अधिकरण
डीएससीआर	ऋण सेवा कवरेज अनुपात
ईसीएल	अपेक्षित क्रेडिट हानि
ईसीआर	बाह्य क्रेडिट हानि
ईपीसी	इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन
फेम	भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शीघ्र अपनाना और विनिर्माण
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफआई	वित्तीय संस्थान
एफआईटी	फीड-इन-टैरिफ
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीबीआई	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन
जी-डैम	ग्रीन डे अहेड मार्केट
जेन्कॉस	उत्पादन कंपनियां

जीओआई	भारत सरकार
जीएसटी	माल और सेवा कर
जी-टैम	ग्रीन टर्म अहेड मार्केट
जीडब्ल्यू	गीगावाट
आईडीएफ	अवसंरचना विकास निधि
आईएफसी	अंतर्राष्ट्रीय वित्त कॉपोरेशन
आईआईएफसीएल	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी लि.
इंडएएस	इंडिया अकाउंटिंग मानक
इनविट्स	अवसंरचना निवेश ट्रस्ट्स
आईपीओ	इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग
आईपीपी	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक
इरेडा	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
आईआरआर	इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
आईएसटीएस	अंतर्राज्यीय पारेषण प्राणाली
एलसी	साख पत्र
एलसीओई	लेवेलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी
जीआईसीए	जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी
एलआईई	लेन्डर्स इंडिपेन्डेंट इंजीनियर
एलआईएस	लिक्विडिटी इन्फ्यूशन स्कीम
एलओसी	आश्वासन पत्र
जेएमआर	जॉइंट मीटर रीडिंग
मंत्रालय	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमडब्ल्यू	मेगावाट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण
एनडीबी	न्यू डेवलपमेंट बैंक
एनडीएसआई	नॉन डिपोजिट टेकिंग सिस्टेमेटिकली इंपॉरटेंट
एनएचबी	राष्ट्रीय आवासन बैंक
एनपीए	गैर-निष्पादनकारी आस्ति
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता

पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीए	प्रॉम्ट करेक्टिव ऐक्शन
पीएफसी	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
पीएम कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
पीपीए	विद्युत खरीद समझौते
पीवी	फोटो वोल्टाइक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईसी	आरईसी लिमिटेड
आरईजीएस	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन
आरएलएमएम	मॉडल और विनिमिर्ताओं की संशोधन सूची
आरपीओ	रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन
आरटीएस	रूफटॉप सोलर
एसएआरएफएईए सआई अधिनियम	वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉपोरेशन ऑफ इंडिया
एसईआरसी	स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन
सिडबी	स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
ट्रान्कॉस	ट्रांसमिशन कंपनियां
वीजीएफ	वायबिलिटी गैप फंडिंग
डब्ल्यूटीई	वेस्ट टू एनर्जी

भाग-एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

अध्याय- एक

प्रस्तावना

1.1 पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार, भारत सरकार विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम चला रही है, जिनका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना और ऊर्जा सुलभ कराने के अलावा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। लागतों में निरंतर कमी लाकर, दक्षता में सुधार लाकर और पुर्वानुमान में बेहतरी लाकर अब अक्षय ऊर्जा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प है।

1.2 175 गीगावाट के राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों से इस क्षेत्र में पर्याप्त बढ़ोत्तरी सुनिश्चित हुई है और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों की घोषणा किए जाने से विकास के इन अवसरों को बल मिला है।

1.3 30 नवंबर, 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता निम्नवत है:

क्षेत्र	दिसंबर, 2022 तक प्राप्त किये जाने वाला लक्ष्य (जीडब्ल्यू)	30 नवंबर, 2021 तक प्राप्त उपलब्धि (जीडब्ल्यू)
सौर	100	48.56
पवन	60	40.03
जैव	10	10.61
लघु जलविद्युत	5	4.83
कुल	**175**	**104.03**

1.4 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 2029-30 के लिए अपेक्षित इष्टतम उत्पादन मिक्स निम्नवत है:

ईंधन का प्रकार	**2029-30 में अपेक्षित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**
सौर	2,80,155
पवन	1,40,000
जैव	10,000
लघु जलविद्युत	5,000
जल विद्युत	71,148
कोयला	2,66,911
गैस	25,080
नाभिकीय	18,980
कुल	**8,17,254**
बैटरी स्टोरेज	27,000MW/108,000MWh (4 घंटे)

1.5 नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समग्र ऋण की आवश्यकता अधिक है और नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को वित्तपोषण की समग्र लागत को कम करना महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की व्यवहार्यता अनुकूल नीतिगत ढांचे और भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए संबंधित राजकोषीय/वित्तीय प्रोत्साहनों से जुड़ी हुई है क्योंकि इन लाभों में कमी/वापसी इन परियोजनाओं के टैरिफ को प्रभावित करती है ।

1.6 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) और अंतरराष्ट्रीय उत्पादक की भागीदारी भी हो रही है। देश में अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी क्षेत्र के डेवलपर्स द्वारा लागू किया जा रहा है। नवीन और

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख डेवलपर्स की सूची निम्नवत है:

सार्वजनिक क्षेत्र

i) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी)
ii) एनटीपीसी लिमिटेड
iii) एसजेवीएनएल लिमिटेड
iv) एनएलसी लिमिटेड
v) एनएचपीसी लिमिटेड
vi) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
vii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)
viii) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
ix) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
x) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)
xi) आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन लिमिटेड
xii) रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएस)

निजी क्षेत्र

xiii) मित्रा एनर्जी इंडिया प्रा. लि.
xiv) अडानी ग्रीन एनर्जी (एमपी) लि.
xv) रीन्यू पावर प्रा. लि.
xvi) इनोक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि.
xvii) ग्रीन इन्फ्रा विंड एनर्जी लि.
xviii) अल्फानार एनर्जी प्रा. लि.
xix) जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी लि.
xx) वेना एनर्जी विद्युत प्रा. लि.
xxi) स्प्रिंग वायु ऊर्जा प्रा. लि.
xxii) बीएलपी एनर्जी प्रा. लि.
xxiii) बेटम विंड एनर्जी प्रा. लि.

xxiv) एक्मे सोलर

xxv) ग्रीनको

xxvi) एज्योर

xxvii) अवाडा पावर

xxviii) हीरो फ्यूचर एनर्जीज

xxix) महिन्द्रा सस्टेन

xxx) टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी

1.7 विदेशी संस्थाओं से वित्तपोषण से भारत में संस्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई है।"

अध्याय- दो

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी वित्तपोषण की स्थिति-वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में निधियों की आवश्यकता

2.1 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निधि की आवश्यकता के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समग्र वित्तपोषण की महती आवश्यकता है। अनुमान है कि केवल हमारी दीर्घावधिक प्रतिबद्धताओं के लिए अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु देश को 1.50 लाख करोड़ रु. से 2 लाख करोड़ रु. तक के वार्षिक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें से पिछले कुछेक वर्षों के लिए हमारा अनुमानित निवेश 75,000 करोड़ रु. तक रहा है। इससे अपेक्षित निवेशों के संदर्भ में काफी अंतर आ गया है। यदि हम पारेषण जैसी संगत अवसंरचना लागतों की मांग पर विचार करें तो यह अंतर और भी बढ़ जाता है।"

2.2 मंत्रालय ने समिति को बताया कि देश में दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए 15-2 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी और इसके मुकाबले पिछले कुछ वर्षों से हमारा अनुमानित निवेश केवल 75,000 करोड़ रुपये रहा है जिससे अपेक्षित और वास्तविक निवेश के बीच बड़ा अंतर आ गया है। इस अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "इरेडा के इक्विटी आधार को गति देने के लिए, वित्त मंत्री ने अपने फरवरी 2021 के बजट भाषण में इरेडा में 1500 करोड़ की इक्विटी डालने की घोषणा की थी। इसके अलावा, इरेडा द्वारा निकट भविष्य में आईपीओ इश्यू लाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे उसके वर्तमान ऋण कर्ताओं और नये ऋण कर्ताओं के लिए एक्सपोजर में पर्याप्त स्थान संभव हो सकेगा

ताकि वे अक्षय ऊर्जा सेक्टर में अच्छे व्यापारिक मौके का लाभ उठा सके। भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने के साथ, इरेडा 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान कर सकेगा। यह दिनांक 31.03.2021 को 27,854 करोड़ रुपए के वर्तमान बुक साइज के अलावा होगा। अतिरिक्त इक्विटी से इरेडा की पूंजीगत पर्याप्तता में भी सुधार होगा जिससे इरेडा कम ब्याज दर पर उधार ले सकेगा और जिसके परिणामस्वरूप डेवलपरों के लिए ब्याज की दरें कम होंगी।

इरेडा के अलावा, भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहीं कई अन्य बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाएं हैं। साथ ही, वैकल्पिक निधियन के रास्ते प्रदान करते हुए अक्षय ऊर्जा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए तंत्र और साधन का सृजन करने के प्रयास भी किए गए हैं।"

2.3 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऋण और इक्विटी पूंजी के स्रोत निम्नवत हैं:

"<u>ऋण पूंजी के स्रोत -</u>

- इरेडा, आरईसी, पीएफसी, आईआईएफसीएल और अन्य एफआई/बैंक - पीएफसी, आरईसी और इरेडा की संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा लोन बुक ~ 65,100 करोड़ रुपये (31.03.2021 तक) है।
- बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियां-विश्व बैंक, एएफडी, एशियाई विकास बैंक, जेआईसीए आदि ।
- ग्रीन बांड/मसाला बांड- ग्रीन/मसाला बांड - कम लागत वाले फंड: वैश्विक बाजार 2015 में 45 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 269.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- इरेडा ने 7.125% वार्षिक कूपन दर पर 5 साल के रुपये-मूल्ययुक्त ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 19.5 अरब रुपये (300 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जुटाए हैं।

• एनटीपीसी, आरईसी, यस बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा क्लीनटेक, आईएफसी आदि भी बांड (डोमेस्टिक/इंटरनेशनल) के जरिए धन जुटाते हैं।

• सार्वजनिक ऑफ्रिंग - इरेडा भी शीघ्र ही अपने आईपीओ शुरू करने की योजना बना रहा है। यह मौजूदा/नए उधारकर्ताओं के लिए जोखिम में पर्याप्त स्थान सक्षम हो जाएगा.

• वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)- इरेडा बड़े संस्थागत निवेशकों का दोहन करने के लिए एआईएफ के रूप में एक ऋण कोष स्थापित करने की प्रक्रिया में है ।

<u>इक्विटी पूंजी के स्रोत</u>

• इक्विटी साझेदार व्यक्तिगत फर्म, डेवलपर्स या प्रबंधन फर्मों, बैंक इक्विटी फंड प्रबंधकों या पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा इक्विटी फंड प्रबंधित हो सकते हैं।"

2.4 आगे निधि के स्रोतों के संबंध में समिति को अवगत कराते हुए मंत्रालय ने बताया कि:

"निवेश के लिए व्यापक अक्षय ऊर्जा बाजार और मांग के चलते अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (पेंशन और अन्य निधियाँ, पीई निधियाँ, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियाँ, अन्य वित्तीय संस्थान) तथा साथ ही घरेलू निवेशकों (पीएसयू जैसे इरेडा, आरईसी और पीएफसी, बैंक और अन्य निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान), दोनों से धन का आवागमन देखने में आया है। इक्विटी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे इक्विटी भागीदारों के जरिए की जाती है, जो व्यक्तिगत फर्म, विकासक अथवा प्रबंधन फर्मों, बैंक इक्विटी निधि प्रबंधकों अथवा पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा संचालित इक्विटी निधियों से हो सकती है।

विभिन्न निवेशक अपनी विशेषज्ञता के आधार पर परियोजना विकास के विभिन्न चरणों में निवेश करते हैं। कम जोखिम वाले और दीर्घकालिक फंड जैसे कि पेंशन फंड, विशेष रूप से शुरू की जा चुकी और स्थायी

परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। खुदरा निवेशक भी बॉण्ड बाजार में भागीदार होते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि अक्षय ऊर्जा (आरई) सेक्टर में पर्याप्त अपफ्रंट निवेश होते हैं (जैसे कि पारंपरिक विद्युत प्रणालियों की तुलना में रखरखाव की लागत बहुत कम होती है) और क्षमता परिवर्धन अधिकतर निजी क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं। अक्षय ऊर्जा सेक्टर के विकास से अवसंरचना विकास फंड (आईडीएफ), अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) और वैकल्पिक निवेश फंड जैसे नए साधनों के रूप में मुद्रा बाजार का भी विकास हुआ है। विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए मसाला बॉण्ड भी सफल रहे हैं।"

2.5 अब तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए कुल निवेश के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वर्ष 2010-11 से गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह की सूचना दी है जो नीचे दिए अनुसार हैः-

क्र.सं.	**वर्ष**	**एफडीआई मिलियन अमेरिकी डॉलर में**
1	**2010-11 अप्रैल-मार्च**	214.40
2	**2011-12**	452.17
3	**2012-13**	1,106.52
4	**2013-14**	414.25
5	**2014-15**	615.95
6	**2015-16**	776.51
7	**2016-17**	783.57
8	**2017-18**	1,204.46
9	**2018-19**	1,446.16
10	**2019-20**	1,393.39
कुल योग		8407.38

2.6 यह पूछे जाने पर कि क्या 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन के संबंध में कोई अनुमान किया गया है, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "कुछ अनुमानों के आधार पर 17,00,000 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसमें संबंधित पारेषण लागत भी शामिल होगी। लागत में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, प्रति मेगावाट लागत 3.5 से 4 करोड़ रु. के बीच हो सकती है, जबकि शेष लागत संबद्ध पारेषण और आवश्यक बैटरी/भंडारण सुविधाओं के लिए होगी।"

2.7 किए जाने वाले निवेश के व्यापक पृथक ब्यौरे के बारे में, इरेडा ने बताया कि सीईए के आकलन सहित विभिन्न आकलनों के अनुसार, संभावित निवेश लागत के साथ अक्षय ऊर्जा एवं भंडारण की श्रेणी के तहत वर्ष 2030 तक संभावित क्षमता संवर्धन नीचे दिए अनुसार है:

प्रौद्योगिकी	**क्षमता (मेगावाट)**	**प्रति मेगावाट लागत (करोड़ रु. में)**	**कुल निवेश (करोड़ रु. में)**
सौर	2,40,000	3.25	7,80,000
पवन	1,00,000	5.5	5,50,000
पारेषण	3,40,000	0.6	2,04,000
पम्प युक्त पन बिजली	10,000	5	50,000
बैटरी (बिना बीओएस वाली)	1,08,000 (मेगावाट प्रति घंटा)	11,250 (रु. प्रति किलोवाट घंटा)	1,21,500
कुल			**17,05,500**

2.8 वित्तपोषण से संबंधित नियामक ढांचे के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"वित्तपोषण के लिए नियामक ढांचे को जोखिम मानकों, एनपीए और परिसंपत्ति वर्गीकरण, जोखिम आधारित और प्रोविजनिंग मानकों, प्राथमिकता ऋण मानकों, अवसंरचना सेक्टर मानकों संबंधी विभिन्न आरबीआई दिशानिर्देशों के साथ संचालित किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा सेक्टर में **100** प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। सेबी के दिशानिर्देश बॉण्डों, आईएनवीआईटी, एआईएफ के माध्यम से जनता से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए लागू हैं।

तथापि, नियामक निकाय किसी सेक्टर के लिए ऋण देना अनिवार्य नहीं करते, क्योंकि ऋण देने संबंधी निर्णय अंततः उस ऋणदाता का रहता है, जो जोखिम लेता है। अतः, व्यवहारिक रूप से इन सेक्टरों का ऋण जोखिम नियामक दिशानिर्देशों तथा बैंकों की आंतरिक नीतियों और स्वीकार्य जोखिम प्रोफाइल वाली कंपनियों/परियोजनाओं से धनराशि की मांग पर निर्भर करता है।"

अध्याय तीन

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण में सहायता देने में इरेडा, पीएफसी और आरईसी की भूमिका

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) की भूमिका

3.1 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण को उत्प्रेरित करने में इरेडा की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:

"भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) भारत में अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समर्पित एक विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान (मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन) है। इरेडा ने पिछले 34 वर्षों से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सुविधा प्रदान की है और समय-समय पर बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अभिनव वित्तीय योजनाएं/समाधान ला रहा है। इरेडा ने 16,165 मेगावाट से अधिक की हरित विद्युत क्षमता जोड़ने में सहायता करते हुए 96,250 करोड़ रु. की संचित ऋण स्वीकृतियों के साथ देश में 2800 से अधिक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है और 63,158 करोड़ रु. का संचित ऋण वितरित किया है। इरेडा की दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार कुल परिसंपत्तियाँ 28,000 करोड़ रु. से अधिक (अनंतिम) की हैं। निवल एनपीए (दिनांक 30 सितम्बर की स्थिति अनुसार लेखा परीक्षित) इसकी बुक वैल्यू का 5.79 प्रतिशत है। इरेडा एक आईएसओ 27001:2013 आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित कंपनी है। यह कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएस/आईएसओः 9001:2015 प्रमाणित भी है।

चूंकि इरेडा क्षेत्र में शामिल जोखिमों को समझता है, अतः यह अधिकांश भागीदारों के लिए पसंदीदा ऋण प्रदाता रहा है। बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए, इरेडा नए-नए वित्तीय उत्पाद यथा फेक्टरिंग, कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) ला रहा है। "

3.2 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर ब्याज दर का विवरण नीचे दिया गया है:

कंपनी	**आन्तरिक रेटिंग/ग्रेडिंग**				
	आईआर 1	**आईआर 2**	**आईआर 3**	**आईआर 4**	**आईआर 5**
(सौर और पवन)	9.20%	9.45%	9.70%	9.95%	10.20%
(लघु पन बिजली, बायोमास, सह उत्पादन, अपशिष्ट से ऊर्जा)	9.70%	9.95%	10.20%	10.45%	10.70%

3.3 पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान इरेडा के वित्तीय कार्य निष्पादन के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	स्वीकृति	11942	12696	11001
2	संवितरण	9385	8785	8827
3	प्रचालनों से राजस्व	2020	2367	2614
4	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	311	241	570
5	कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	250	215	346
6	नेटवर्थ	2584	2521	2995
7	लाभांश भुगतान (भुगतान आधार पर)	21.84	128.19	-
8	ऋण खाता	20888	23548	27854
9	कुल उधारी	18753	21854	24000
10	सकल एनपीए का प्रतिशत	6.12%	10.08%	8.77%
11	निवल एनपीए का प्रतिशत	3.74%	7.18%	5.61%
12	सीआरएआर का प्रतिशत	16.32%	14.34%	17.12%

3.4 अपने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में इरेडा ने बताया कि दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित आंकड़ों के अनुसार, कुल बकाया ऋण 2,646 करोड़ रू. (2,442* करोड़ रुपए का खाता ऋण) के 94 एनपीए खाते (84 परियोजनाएं) हैं। दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार, एनपीए का आंकड़ा 2,163 करोड़ रु. है।पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार) की एनपीए की स्थिति इस प्रकार है:

एनपीए	**वित्तीय वर्ष** 2018-2019		**वित्तीय वर्ष** 2019-2020		**वित्तीय वर्ष** 2020-2021		**वित्तीय वर्ष** 2021-2022 (30.06.2021 तक)	
	करोड़ रु.	**%**	करोड़ रु.	**%**	करोड़ रु.	**%**	करोड़ रु.	**%**
एनपीए	1308	6.1	2373	10.0	2442	8.	2163	8.11
एनपीए	780	3.7	1637	7.18	1510	5.	1258	4.88

* बट्टे खाते में डाली गई धनराशि: 205 करोड़ रु. (2015-16 के पूर्व)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.90 करोड़ रु. की मूलधन राशि को कंसोर्टियम-एक मुश्त निपटान अनुसार एक खाते में छोड़ दिया गया।

3.5 31 मार्च, 2021 तक की इरेडा की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का विवरण अनुबंध- एक में संलग्न है।

3.6 इरेडा द्वारा प्रस्तुत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के गैर निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का सेक्टर-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	**मामलों की संख्या**	**बकाया ऋण (खाता ऋण)**
पवन	7	488
सौर	6	286
पन बिजली	3	42
बायोमास	2	8
सह उत्पादन	9	485
अल्पावधि ऋण	1	131
विनिर्माण	1	82
पारेषण	2	85
ऊर्जा दक्षता	1	10

अन्य (ब्रिक्वेटिंग, डब्ल्यू टीई-सबस्टेशन)	-	-
कुल	**32**	**1,617**

3.7 पिछले तीन वर्षों में इरेडा द्वारा ऋण को बट्टे खाते में डालने के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि इरेडा ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, अपने किसी ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

3.8 एनपीए के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, इरेडा ने निम्नलिखित बताया:

करोड़ रुपये में

एनपीए होने/ कठिनाईयों के कारण	**कुल एनपीए**			**पिछले 3 वर्ष में एनपीए**	
	खातों की सं.	**दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बकाया**	**%**	**खातों की कुल संख्या**	**दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बकाया**
डिस्कॉम से भुगतान में विलम्ब और टैरिफ संबंधित मामला	14	755	31 %	13	695
अप्रत्याशित घटनाएं	12	431	18	5	154
कच्चे माल की लागत में वृद्धि	12	82	3%	1	6
परियोजना कार्यान्वयन/चालू होने में विलम्ब	7	528	22 %	4	237
प्रोमोटरों का विवाद/ न्यायालय/ एनसीएलटी/प्रोमोटरों की वित्तीय कठिनाईयां	36	275	11 %	3	154
प्रौद्योगिकी/संसाधन/उत्पादन संबंधित मामले	13	371	15 %	6	371
कुल	**94**	**2442**		**32**	**1617**

3.9 विशेष रूप से 2019-20 के दौरान इरेडा के उच्च एनपीए के कारणों के बारे में बताते हुए, मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

- "एनबीएफसी के लिए आरबीआई मानकों में संशोधन - वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 31 मई, 2018 के परिपत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विवेकपूर्ण मानकों से छूट को वापस ले लिया जो पूर्व में सभी सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनडी एसआई) के लिए उपलब्ध थी। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित मानकों के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के नुसार एनपीए वर्गीकरण में कोई ऋण आस्ति शामिल है जो 120 दिनों से अधिक समय से चूक में है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण आस्ति शामिल होगी जो 90 दिनों से अधिक समय से चूक में है।
- इंडएएस- कंपनी ने 01 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडीएएस) को अपनाया जिसके माध्यम से प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) को अपनाना सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनिवार्य है। आईएनडीएएस को अपनाने के बाद वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) परिकलनों के आधार पर अधिक प्रावधान करने का कार्य किया गया।

3.10 एनपीए की वृद्धि को रोकने के लिए इरेडा द्वारा अपनाए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"इरेडा ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को समय पर अभिज्ञात करने और इसके आरंभिक समाधान के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान एवं अन्य प्रासंगिक नीतियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी आरबीआई परिपत्रों के अनुसार अपनी नीतियाँ बनाने सहित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय विवेक के विभिन्न बेंचमार्क का पालन कर रहा है यथा:

(क) स्वीकृति, संवितरण आदि के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय सभी परियोजनाओं के लिए वित्त द्वारा अनाश्रित सहमति प्रवर्तित की गई है।

(ख) समर्पित समीक्षा एवं अनुवीक्षण की स्थापना

(ग) आरंभिक चेतावनी संकेतों को अभिज्ञात करने और बरामदगी की कार्रवाई को समय पर शुरू करने, जहाँ अपेक्षित हो, के लिए एनपीए लेखा सहित संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो की आवधिक समीक्षा एवं अनुवीक्षण

(घ) एनपीए सहित सभी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की आवधिक समीक्षा और अनुवीक्षण के लिए पृथक बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है।

(ङ) परियोजना में विलंब से संबंधित मामलों के लिए आरंभिक संकेतों को अभिज्ञात करने, परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों की वृद्धि को रोकने की दृष्टि से प्रचालनों के दौरान परियोजनाओं से संबंधित मामलों के लिए नियमित अनुवीक्षण और लेंडर्स इंडिपेंडेंट इंजीनियर (एलआईई) नियुक्त करना।"

3.11 इरेडा द्वारा की गई विभिन्न वसूली कार्रवाइयों का विवरण इस प्रकार है:

अब तक की गई वसूली कार्रवाई	**खातों की कुल सं.**	**दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार**	**प्रतिशत**
सरफेसी अधिनियम	10	247	10%
डीआरटी	27	1	0%
एनसीएलटी	20	634	26%
की गई विविध कार्रवाईयां	10	173	7%
प्रक्रियाधीन कार्रवाईयां	3	190	8%
न्यायाधीन	2	89	4%
समाधान किया जा रहा है (पुनर्संरचना, प्रबंधन परिवर्तन आदि)	22	1108	45%
कुल	**94**	**2442**	100**%**

3.12 एनपीए खातों से अपेक्षित वसूली के बारे में पूछे जाने पर, इरेडा ने निम्नानुसार बताया:

"दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार 2,163 करोड़ रु. के एनपीए की तुलना में 906 करोड़ रु. (लगभग) का प्रावधान किया गया है और प्रत्यक्ष प्रतिभूति द्वारा सहायता प्रदान की गई है। 1,497 करोड़ रु. मूल्य की 71 परिसंपत्तियां विधिक कार्यवाहियों, समाधान आदि के माध्यम से वसूली जा रही है जिसमें समय लग सकता है और इससे प्रत्यक्ष प्रतिभूति के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। इरेडा आवधिक आधार पर इन सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करता है।"

3.13 यह पूछे जाने पर कि भारत सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ बैंकों को पुन:वितपोषित करते हुए इरेडा किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है और बाधा को दूर कर सकता है, मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"इरेडा, इस सेक्टर के लिए वित्त पोषण करने वाली विशिष्ट एजेंसी है और इसने पिछले पांच वर्षों के दौरान मजबूत प्रगति देखी है। तथापि, वर्तमान में, उस के कम पूंजीगत आधार ने उसके प्रचालन को विपरीत रूप से प्रभावित करना शुरु कर दिया है। इरेडा का सीआरएआर 2014-15 के 23.14 प्रतिशत (जो किसी वित्तीय संस्था के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है) से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 14.34 प्रतिशत हुआ है और कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में मामला बढ़कर 17.12 प्रतिशत हुआ है। सीआरएआर को प्रचालनो और बाजार ऋणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समझा जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, इरेडा की उधार लेने की सीमा उस के नेट-वर्थ की 8 गुना है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित सीआरएआर के अनुरूप है। भारत सरकार द्वारा डाली जाने वाली प्रस्तावित इक्विटी के अलावा इरेडा आईपीओ इश्यू लाने की योजना बनाकर रहा है, जिससे और भी वित्तपोषण संभव हो सकेगा। भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रु. की इक्विटी डालने से, इरेडा के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान

करना संभव होगा। अतिरिक्त इक्विटी से इरेडी की पूंजी पर्याप्तता में सुधार होगा, जो इरेडा को कम ब्याज दर पर उधार लेने में सहायक होगा, जिससे डेवलपरों के लिए ब्याज दरों में कमी आएगी। कंपनी का अगले 5 वर्षों में, तकरीबन 20 प्रतिशत का सीआरएआर बनाएर खते हुए, आईपीओ तथा श्रेणी I और II पूंजी द्वारा अतिरिक्त पूंजी डालते हुए 1.35 लाख करोड़ रु. केऋण खाते का अनुमानित लक्ष्य है।"

3.14 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इरेडा के समक्ष आ रही बाधाओं के बारे में प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

"इरेडा मुख्य रूप से ऋण जोखिम मानकों की वजह से वृहत क्षमता वाली परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में लाचार है; प्रमुख समूहों में इरेडा का प्रभाव लगभग कम हो गया है। यद्यपि, इरेडा विकास कर रहा है और अक्षय ऊर्जा सेक्टर को सक्रिय रूप से सहायित कर रहा है; फर भी इसका पूंजीगत आधार कम है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, इरेडा का ऋण खाता 27,854 करोड़ रु. और उधारी 24,000 करोड़ रु. है। कंपनी का निवल मूल्य 2995 करोड़ रु. और सीआरएआर 17.12 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, इरेडा को न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर अनुरक्षित रखना होता है, तदनुसार, अनुवर्ती उधारी के लिए बहुत सीमित संभावना है।"

3.15 यह पूछे जाने पर कि क्या इरेडा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा निभाई गई भूमिका के समान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक सक्रिय और अग्र-भूमिका निभा सकता है, मंत्रालय ने कहा:

"वर्ष 1987 में अपने गठन से इरेडा द्वारा अक्षय ऊर्जा के वित्तपोषण और ऊर्जा दक्षता (ईई) सेक्टर के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई जा रही है। आरबीआई में नॉन-डिपोजिट के रूप में पंजीकृत इस कंपनी ने व्यवस्थित तरीके से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तकंपनी (एनबीएफसी) का रूप

लिया है। इरेडा ने अक्षय ऊर्जा सेक्टर के लिए वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है और अपने ग्राहकों के लिए परियोजना की संकल्पना से लेकर चालू होने के बाद के स्तर तक के लिए व्यापक श्रेणी की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है। कंपनी निजी सेक्टर डेवलपरों को प्राथमिक तौर पर परियोजना ऋण, अल्प-कालिक ऋण, ब्रिज ऋण आदि के लिए निधि आधारित और गैर-निधि-आधारित सुविधाएं प्रदान करती है। प्रबंधन रणनीतियों का उद्देश्य डिलीवरी प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाना जिस कातात्पर्य ग्राहकों के लिए लेन-देन लागत में कमी, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर द्वारा साइकल (चक्र) में कमी लाना है। उल्लेखनीय है कि इरेडा द्वारा पिछले 35 वर्षों से अक्षय ऊर्जा सेक्टर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

कंपनी का अगले 5 वर्षों में, तकरीबन 20 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखते हुए, आईपीओ तथा श्रेणी I और II पूंजी द्वारा अतिरिक्त पूंजी डालते हुए 1.35 लाख करोड़ रु. के ऋण खाते का अनुमानित लक्ष्य है। किफायती संसाधन उपलब्धता कराने के लिए, इरेडा के लिए अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं जैसे कि एनएचबी, सिडबी (एसआईडीबीआई), नाबार्ड आदि के साथ रेपो दर पर आरबीआई से उधार लेने के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है।"

3.16 इरेडा को ग्रीन बैंक में परिवर्तित करने, ताकि इसे उन विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके जो वर्तमान में नवीकरणीय वित्त पोषण का समर्थन नहीं करते हैं,की स्थिति के बारे में पूछे जाने परमंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के संपूर्ण प्रचालन अक्षय ऊर्जा के इर्द-गिर्द केन्द्रित हैं और यह भारतीय हरित बैंक की सरकारी स्थिति के बिना हरित बैंक की तरह कार्य करती है। एनबीएफसी की अपनी विधिक स्थिति को परिवर्तित किए बिना इरेडा के नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव एमएनआरई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इसके बाद एमएनआरई ने दिनांक 14.09.2017 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि चूंकि इरेडा एक ब्रांड नाम बन गया है, इसलिए नाम में परिवर्तन करने की सलाह नहीं दी जा सकती और यह भी सुझाव दिया कि इरेडा "इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था" के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकता है। इस समय, इरेडा को एनबीएफसी-एनडीएसआई (नॉन डिपोजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट) के रूप में श्रेणीकृत किया गया है तथा इसे हरित बैंक में परिवर्तित नहीं किया गया है।"

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की भूमिका

3.17 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश के बारे में पूछे जाने पर, पीएफसी ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"पीएफसी ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 31.03.2021 तक क्रमशः 53,870 करोड़ रु. और 31,104 करोड़ रु. की संचयी स्वीकृति और संवितरण किया है। 31.03.2021 के अनुसार पीएफसी द्वारा समर्थित कुल क्षमता लगभग 14670 मेगावाट है।"

3.18 पीएफसी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2020-21 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

अनुशासन	**संस्वीकृति** (करोड़ रुपए में)	**संवितरण** (करोड़ रुपए में)
सोलर	27539	15545
विंड	21386	12374
डबल्यूटीई	1286	524
लघु जल-विद्युत (<=25 MW)	864	466
बगैस	795	795
बायोमास	68	25
कुल	**51939**	**29728**

3.19 पीएफसी लिमिटेड ने यह भी बताया कि आरई-निवेश के दौरान, इसने **2015** से 2019 तक 3000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 15000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की है और वित्त वर्ष 20-21 के दौरान, पीएफसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 14,777 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं और 4,698 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

12 फरवरी 2015 से 31 मार्च, 2020	
कुल समर्थित क्षमता (एमडबल्यू में)	**8926**
कुल संस्वीकृति करोड़ में)	**34910**
कुल संवितरण (करोड़ में)	**23812**

3.20 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएफसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दर का विवरण निम्नलिखित है:

कंपनी	**आन्तरिक रेटिंग/ग्रेडिंग**				
	आईआर 1	**आईआर 2**	**आईआर 3**	**आईआर 4**	**आईआर 5**
(सौर और पवन)	9.25%	9.50%	9.75%	10.00%	10.25%
(लघु पन बिजली, बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा)	9.75%	10.00%	10.25%	10.50%	10.75%

3.21 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज दरों के बारे में बताते हुए, पीएफसी ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

> **(क)** "सौर और पवन परियोजनाओं के लिए, ऋणकर्ता की लागू श्रेणी के आधार पर और ऋणकर्ता/परियोजना की रेटिंग के आधार पर मासिक रेस्ट आधार पर ब्याज दर 9.00% प्रति वर्ष से लेकर 10.25% प्रति वर्ष तक होती है।

(ख) बायोमास/अपशिष्ट से ऊर्जा/हाइड्रो (25 मेगावाट तक) के लिए ब्याज दरें सौर/पवन की संबंधित लागू नवीकरणीय ऊर्जा दरों की तुलना में 50 बीपीएस अधिक होंगी।

(ग) घरेलू सामग्री 75% या अधिक होने पर सौर परियोजनाओं के लिए कार्ड दर पर 10 बीपीएस की विशेष छूट।

(घ) 6 महीने के संतोषजनक वाणिज्यिक प्रचालन के बाद 25 बीपीएस की पोस्ट सीओडी छूट की अनुमति है।

(ङ) पारंपरिक परियोजना उधार दरोंकी तुलना में 1.25 प्रतिशत तक कम।"

3.22 गत तीन वर्षों में पीएफसी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, निगम ने बताया कि गत तीन वर्षों में पीएफसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में कोई ऋण बट्टे खाते में नहीं डाला है।

3.23 गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने एनपीए के बारे में प्रश्न के उत्तर में पीएफसी ने निम्नलिखित जानकारी दी:

दिनांक 31.3.2021 तक चरण-III नवीकरणीय ऋणकर्ता (करोड़ रुपए)	333.46
दिनांक 31.3.2020 तक चरण-III नवीकरणीय ऋणकर्ता (करोड़ रुपए)	340.16
दिनांक 31.3.2019 तक चरण-III नवीकरणीय ऋणकर्ता (करोड़ रुपए)	332.45

3.24 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित पीएफसी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का विवरण **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

3.25 नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतिगत पहलों के बारे में पूछे जाने पर पीएफसी ने निम्नानुसार कहा:

(क) वेब आधारित ऋण आवेदन प्रणाली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का तेजी से मूल्यांकन

(ख) वित्तीय क्लोज़र में तेजी लाने के लिए 2000 करोड़ रुपए तक का एकमात्र ऋण।

(ग) आर्थिक जीवनकाल के 80% तक ऋण अवधि (पवन/सौर - 20 वर्ष, हाइड्रो - 32 वर्ष)

(घ) 1 साल तक का मूल राशि अधिस्थगन (प्रिंसिपल मोरेटोरियम)

(ङ) 80:20 तक का ऋण: इक्विटी अनुपात

(च) दस्तावेज़ीकरण समय को कम करने के लिए सौर परियोजनाओं के लिए शुरू किए गए मानक ऋण दस्तावेज़ परियोजना लागत के हिस्से के रूप में डीएसआरए निधीयन की अनुमति दी गई

(छ) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकासकर्ताओं को गैर-निधि आधारित उत्पाद (अंडरटेकिंग पत्र) शुरू किया, जिसका उपयोग टैरिफ आधारित बोली में भाग लेने के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के बदले में किया जा सकता है।

(ज) परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माताओं/ईपीसी ठेकेदारों को परियोजना विशिष्ट वित्तपोषण शुरू किया गया

(झ) भारत सरकार के लिक्विडिटी पैकेज के तहत, पीएफ़सी ने नवीकरणीय ऊर्जा बकाया सहित बकाया की क्लीयरेंस के लिए डिस्कॉम को विशेष दीर्घकालिक ट्रांजिशन ऋण पेश किए हैं।

आरईसी लिमिटेड की भूमिका

3.26 अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के बारे में, आरईसी लिमिटेड ने निम्नानुसार बताया:

"आरईसी का नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय : आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संवर्धन और वित्तपोषण हेतु क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित की जा रही आरई परियोजनाओं में 60 % सौर पीवी, 35 % पवन ऊर्जा, 5 % अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे लघु जलविद्युत, बायोमास आदि विविध तकनीक वाली परियोजनाएं शामिल हैं। आरईसी ने अब तक कुल मिलाकर लगभग 82,000

करोड़ रुपए की कुल लागत से लगभग 11 गीगावॉट की संस्थापित क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत की हैं । आरई क्षेत्र में 37 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर के साथ ऋण स्वीकृतियों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7,034 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 18,213 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई है। आरई क्षेत्र की आरईसी की लोन बुक में इसी अवधि में 7,506 करोड़ रुपये से 16,505 करोड़ रुपये तक 30 % की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज, आरईसी के पास प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आरई विकासकर्ता जैसे सॉफ्ट बैंक ग्रुप, एंजी, एक्टिस फंड और अग्रणी घरेलू कंपनियां जैसे जेएसडब्ल्यू, अडानी, रेन्यू, अवाडा, एज़ूर आदि हैं । आरईसी भारत के बिजली क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को तैयार कर रही है। भारत सरकार की " मेक इन इंडिया " अभियान के समर्थन में, आरईसी ने घरेलू सौर पीवी सेल और 2 जीडब्ल्यूपी प्रति वर्ष क्षमता की मॉड्यूल विनिर्माण यूनिट के लिए 1225 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है। बृहद अवसंरचना परियोजनाओं में आरईसी ने सनराइज सेक्टर की परियोजनाओं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी विनिर्माण, स्मार्ट मीटरिंग और बिजली संघटकों आदि के वित्तपोषण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस पहल के अनुरूप और विविधीकरण अभियान के एक अंग के रूप में, आरईसी ने भारत सरकार की फेम । और फेम- II योजनाओं के अंतर्गत 11 शहरों में 940 ई - बसों के लिए 578 करोड़ रुपए की सावधिक ऋण सहायता भी प्रदान की है।"

3.27 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी लिमिटेड द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में निगम ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"आरई परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, आरईसी ने सरकारी विकास सहायता के अंतर्गत केएफडब्ल्यू , जर्मनी से मार्च, 2012 में 100 मिलियन यूरो और अगस्त, 2018 में 228 मिलियन अमरीकी डालर की दो क्रेडिट लाइन प्राप्त किया है । इसके अलावा, मई, 2020 में न्यू डेवलपमेंट

बैंक (एनडीबी), चीन से 300 मिलियन अमरीकी डालर की एक क्रेडिट लाइन भी प्राप्त की गई है। बहुपक्षीय कंपनियों जैसे केएफडब्ल्यू और एनडीबी से जुड़कर, आरईसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा पर्यावरण सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएसएचएस) से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय तौर - तरीकों को अपनाया है।"

3.28 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर ब्याज दर का विवरण नीचे दिया गया है:

कंपनी	**आन्तरिक रेटिंग/ग्रेडिंग**				
	आईआर 1	**आईआर 2**	**आईआर 3**	**आईआर 4**	**आईआर 5**
(सौर और पवन)	9.25%	9.50%	9.75%	10.00%	10.25%
(लघु पन बिजली, बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा)	9.75%	10.00%	10.25%	10.50%	10.75%

3.29 गत तीन वर्षों में आरईसी लिमिटेड द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण के विवरण के बारे में पूछे जाने पर निगम ने कहा कि गत तीन वर्षों में आरईसी लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में कोई ऋण बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.30 गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने एनपीए के बारे में एक प्रश्न के उत्तर मेंआरईसी लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

दिनांक 31.3.2021 तक चरण-III नवीकरणीय ऋणकर्ता (करोड़ रुपए)	40.66
दिनांक 31.3.2020 तक चरण-III नवीकरणीय ऋणकर्ता (करोड़ रुपए)	4.35
दिनांक 31.3.2019 तक चरण-III नवीकरणीय ऋणकर्ता (करोड़ रुपए)	80.06

3.31 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित आरईसी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का विवरण **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

3.32 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के वित्तपोषण में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत पहलों के बारे में आरईसी ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

(क) उधारकर्ताओं की बाहरी क्रेडिट रेटिंग - पर आधारित टेक (ईसीआर) आउट वित्तपोषण;

(ख) 75 % घरेलू हिस्से वाली सौर परियोजनाओं को 10 बीपीएस की अतिरिक्त छूट के साथ ग्रीन फील्ड परियोजना का वित्तपोषण;

(ग) बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिए गए पीबीजी के बदले गैर फंड आधारित - पत्र - उत्पाद के रूप में वचन

(घ) आरई उपकरण आपूर्तिकर्ताओं ईपीसी / उपकरण विनिर्माताओं / ठेकेदारों आदि द्वारा परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए निधि की सीमा के लिए - करने हेतु अल्पकालिक समय तत्काल आवश्यकता को पूरा परियोजना के आधार पर वित्तपोषण ।

अध्याय - चार

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं

4.1 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं के बारे में पूछे जाने परआरईसी लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"ऊर्जा के संदर्भ में बिजली आपूर्ति और मांग में संतुलन लाने और पारेषण तथा वितरण के सम्पूर्ण नेटवर्क में ऊर्जा का आवागमन, दोनों संदर्भों में नवीकरणीय ऊर्जा के समायोजन हेतु सिस्टम का सामर्थ्य सबसे प्रमुख अवरोध है । उपर्युक्त तकनीकी अवरोधों के अलावा, आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण में निम्नलिखित जोखिम / अवरोध हैं, जिनका समाधान नीतिगत स्तर पर बदलाव करके ही किया जा सकता है:

(i) **प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से लाए गए पीपीए प्रशुल्कों का पुनः निर्धारण** हाल ही में, कुछ राज्यों ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लाए गए प्रशुल्कों का निरस्तीकरण / पुनः निर्धारण किया है। आंध्र प्रदेश के मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षाकृत कम राशि (2.44 रुपये / यूनिट) के अंतरिम प्रशुल्क की अनुमति दी गई है, हालांकि, इस विषय पर अंतिम निर्णय आना अभी शेष है । इस तरह की अनिश्चितता और राजस्व पर इसके परिणाम से होने वाले प्रभाव के कारण परियोजना की ऋणदेयता तथा निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं ।

(ii) **पीपीए प्रशुल्कों को अपनाने में देरी**

विधिक प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय / राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लाए गए प्रशुल्क को लागू करना है। जबकि पीपीए ऑफ टेकर्स, प्रशुल्कों को अपनाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा प्रशुल्क को अपनाने से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में देरी के कई मामले देखे गए हैं । चूंकि आरई परियोजनाओं के लिए उत्पादन पूर्व अवधि आम तौर पर कम होती है, आरई विकासकर्ता समय पर परियोजना के निष्पादन के साथ कार्यान्वयन की निर्धारित लागत का अनुमान लगाते हुए आक्रामक बोली लगाते हैं । प्रशुल्क अपनाने में देरी

के कारण आगे परियोजना के पूरा होने में विलंब होता है और इससे समय और लागत में वृद्धि होती है, जिसके कारण परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़ता है ।

(iii) **राज्यों की वितरण कंपनियों द्वारा बिजली बिलों के भुगतान में देरी**

आरई उत्पादन से समय पर राजस्व वसूल करने में आरई विकासकर्ताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अनेक मामले आए हैं जिनमें राज्यों के विभिन्न डिस्कॉम द्वारा भुगतान में अत्यधिक विलंब हुआ है। तेलंगाना में आरई विकासकर्ताओं को कभी - कभी 10 महीने से अधिक देर से भुगतान हुआ है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ आरई विकासकर्ता भी इसी तरह के मामलों का सामना कर रहे हैं। ये परियोजनाएं अनुमानित ऊर्जा का उत्पादन करने में तकनीकी रूप से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फिर भी, विकासकर्ताओं विलंब के कारण, ऋणदाताओं को ऋण के भुगतान में विलंब हुआ है और इस प्रकार की परिसंपत्तियों की डाउनग्रेडिंग गैर - निष्पादक परिसंपत्तियों (उदाहरण) के लिए महाराष्ट्र की श्रीकांत एनर्जी एंड ग्लोबल मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड) के रूप में हो गई है। के ऊर्जा बिलों के भुगतान जबकि पीपीए शर्तों के अनुसार डिस्कॉम देय तिथि से पूर्व भुगतान में छूट का दावा करते रहे हैं, वे पीपीए की शर्तों के अनुसार, आरई विकासकर्ताओं को, देरी से किए जाने वाले भुगतान पर अधिभार के रूप में मुआवजा / दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसका ऋणदाताओं तथा निवेशकों की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(iv) **भुगतान सुरक्षा इंस्ट्रूमेंट की का पालन न होना**

विनियामकों द्वारा अनुमोदित/अपनाए गए मानक पीपीए में भुगतान सुरक्षा का प्रावधान है जिसमें आम तौर पर रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा कभी - कभी भुगतान सुरक्षा निधि, एस्क्रो आदि शामिल हैं। अधिकांश मामलों में जहां पीपीए डिस्कॉम के साथ क्रियान्वित किए जाते हैं यह देखा गया है कि डिस्कॉमों द्वारा भुगतान सुरक्षा के लिए इंस्ट्रूमेंट अर्थात ऑफ क्रेडिट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

(v) **आयातों पर निर्भरता**

वर्तमान में सौर सेल और मॉड्यूल्स की घरेलू विनिर्माण क्षमता क्रमशः -3 गीगावाट और -13 गीगावाट है, जो देश की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, भारत के आरई विकासकर्ता मुख्य रूप से चीन से सौर मॉड्यूल के आयातों पर निर्भर हैं। आयात पर अत्यधिक निर्भरता मॉड्यूलों की समय पर उपलब्धता और इनकी कीमतों के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न करती है।

भारत सरकार ने आयातों पर निर्भरता को कम करने और देश के पीवी विनिर्माण आधार का विस्तार करने के लिए अप्रैल, 2022 तक सौर मॉड्यूल पर 40 % और सौर सेल पर 25 % मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है। तथापि , अपर्याप्त घरेलू क्षमता, महंगे आयातों पर निर्भरता और कीमत में अंतर के कारण वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है ।

(vi) **कमतर प्रशुल्क**

परियोजनाओं की ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और आंतरिक लाभ (आईआरआर) पर प्रतिस्पर्धी बोलियों में कमतर प्रशुल्क आने और पिछले कुछ समय में मॉड्यूल की लागत में वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय बाजार में ऋण की उच्च लागत को देखते हुए, अत्यंत कम प्रशुल्क के साथ आरई परियोजनाओं का वित्तपोषण ऋणदाताओं के लिए चिंता का एक विषय है ।

(vii) **भूमि अधिग्रहण और मंजूरी संबंधी अवरोध**

भूमि अधिग्रहण और अधिग्रहीत भूमि नीतियों के गैर - कृषि (एनए) परिवर्तन राज्यों से संबंधित हैं। न्यायालयों में मुकदमों के लंबित रहने (अधिग्रहण के बाद) और राज्यों के विभागों द्वारा एनए परिवर्तन आवेदनों का निस्तारण न हो पाने के फलस्वरूप सेक्योरिटी जारी होने में देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप सेक्योरिटी का सृजन न किए जाने पर अतिरिक्त ब्याज की वसूली की जाती है जिससे परियोजना की लागत पर अतिरिक्त भार पड़ता है ।

(viii) **निकास संबंधी बाधाएं**

सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित प्रकृति के कारण पीक लोड और ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धता के बीच के असंतुलन ने पारेषण ग्रिड के लिए जटिलताएं उत्पन्न की हैं। आई विद्युत के सतत पारेषण के लिए ग्रिड अवसंरचना में नवनिर्माण / सुधार लाना जरूरी है । आरई परियोजनाओं की कमीशनिंग के समय पर्याप्त अवसंरचना के साथ निकास संबंधी अनुमोदनों का होना महत्वपूर्ण है।

(ix) **"मस्ट रन" स्तर का अनुपालन न होना**

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भारत में "मस्ट रन" स्तर प्राप्त है, इसलिए ग्रिड सुरक्षा कारणों को छोड़कर उनमें कटौती नहीं की जाती है। फिर भी, ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं, जहां डिस्कॉम और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर ही पीपीए ऑफ टेकर्स हैं, जो कभी - कभी आरई परियोजनाओं से बिजली निकासी के शेड्यूल को बाधित करते हैं जिसके कारण आई विकासकर्ताओं की क्षमता में कमी आती है और इन्हें राजस्व संबंधी हानि होती है।"

4.2 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं के बारे में आगे बताते हुए मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"प्रमुख चुनौती, वित्तपोषण की मात्रा और अवधि के संबंध में है क्योंकि हमें वर्तमान वार्षिक निवेशों से लगभग तीन गुना अधिक निवेशों की आवश्यकता होगी। अधिक निवेश का यह भी अर्थ होगा कि इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मिले-जुले स्रोतों से प्राप्त होगा। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से सामान्यतः लम्बी अवधि के दौरान व्यवहार्य और स्थायी (परंतु बड़ा नहीं) लाभ होता है, अतः समान सोच वाले निवेशकों से अधिक मात्रा में निवेशों की आवश्यकता है। यह भी देखा जा सकता है कि अधिकांश अक्षय ऊर्जा स्रोतों की प्रौद्योगिकी में विकास जारी रहेगा और इसीलिए प्रौद्योगिकी का संभावित जोखिम बना रहेगा। इसके अलावा, सभी वित्तीय संस्थाएं और बैंक अक्षय ऊर्जा सेक्टर के जोखिमों और उससे प्राप्त होने वाले

लाभ को नहीं समझते तथा यह इस क्षेत्र के वित्तपोषण में एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है। यह देखा जा सकता है कि कुछेक वित्तीय संस्थानों और सीमित बैंकों द्वारा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की तुलना में देश में ऋण वित्तपोषण की उच्च लागत भी परियोजनाओं की लागत और एलसीओई को प्रभावित करती है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से बड़े निवेशों को आकर्षित करने का एक कारण है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इक्विटी वित्तपोषण की उपलब्धता में कभी-कभी बड़े डेवलपरों की लिए भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है, यदि उनके द्वारा निवेश की गई परियोजनाओं में तरफ से अधिक देरी होती है या डिस्कॉमों से भुगतान की चुनौतियाँ होती हैं ।

परिसंपत्ति और देनदारी में असंतुलन होने से भी वित्तपोषण के लिए चुनौतियाँ आती हैं क्योंकि अल्पकालिक वित्त, अक्सर दीर्घकालिक प्रकृति की अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होती हैं क्योंकि अल्पावधि वि-त पोषण नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन की तुलना में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा, हमारी वित्तीय प्रणाली व्यवस्था में कोई 'हरित' तत्व नहीं है और इन्हें किसी अन्य परियोजना वित्त की तरह माना जाता है, क्योंकि व्यापक तौर पर पर्यावरण तथा समाज के प्रति अप्रत्यक्ष लाभ पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता तथा इसका मुद्रीकरण नहीं किया जाता। यदि कोई गैर-हरित परियोजना के बेहतर लाभ प्रदान कर सकती है, तो उस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा, क्षेत्रगत ऋण जोखिम के लिए पारंपरिक विद्युत परियोजनाओं के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को मिला देना और बड़ी मात्रा में एनपीए तथा स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों का होना भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

वित्तपोषण और निवेशों से संबंधित विनियामक वातावरण, जिसे अक्षय ऊर्जा सहित सभी सेक्टरों पर विचार करते हुए तैयार किया जाता है, इसे लागू करते समय चुनौतीपूर्ण साबित होता है। यह स्पष्ट है कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन अधिकांशतः मौसम पर आधारित है और उत्पादन का एक बड़ा

हिस्सा मौसम विशेष के दौरान होता है (उदाहरण के रूप में पवन परियोजनाओं और लघु पन बिजली परियोजनाओं से वर्षा ऋतु के दौरान अधिकतम विद्युत उत्पादन होता है) तथा वर्ष के दौरान राजस्व की प्राप्ति भी समान नहीं होती। हालांकि, यदि कोई परियोजना कम उत्पादन की अवधि के दौरान अपनी देनदारी का भुगतान नहीं करती है तो उसे आरबीआई की एनपीए और परिसंपत्ति वर्गीकरण की अधिसूचना के अनुसार एनपीए माना जाएगा। इसके अलावा, हालांकि 15 करोड़ रु. से कम मूल्य की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 'प्राथमिकता क्षेत्र' ऋण के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसमें केवल लघु आकार की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं ही शामिल हैं। कई बैंक, जिन्हें अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की जानकारी नहीं है, वे इस कम वित्तीय सहायता की भी पेशकश नहीं करते और वे अन्य प्राथमिकता क्षेत्र परियोजनाओं से अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यद्यपि विनियामक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिशानिर्देश जारी करते हैं, लेकिन ऋण देने का निर्णय तो अंततः ऋणदाता का होता है।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी इस क्षेत्र में अनुमानित जोखिमों के चलते काफी प्रभाव पड़ा है, जो परियोजना के कार्यनिष्पादन और राजस्व की प्राप्ति पर निर्भर है। क्षेत्र में वित्तपोषण को जिस एक जोखिम ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, वह है टैरिफ का पुनर्निर्धारण करने का प्रयास करना। यह सराहनीय है कि टैरिफ को कम करना, जो कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की विशेषता रही है, यूटीलिटीज के व्यापक हित में रहा है और अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीदने के प्रति उनकी बेरुखी में भी काफी कमी आई है, लेकिन इसमें निरंतर जोखिम भी उत्पन्न होता रहा है, क्योंकि कोई एक या कोई दूसरी यूटीलिटी टैरिफ के पुनर्निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू कर देती है। इन अनुबंधों की शुचिता से समझौता किया जाना प्रतीत होता है और पूरे का पूरा क्षेत्रगत जोखिम बढ़ जाता है अंतर्राष्ट्रीय भागीदार ऐसे प्रयासों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

आदर्श के तौर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं करीब डेढ़ वर्षों की अवधि में पूरी होती हैं लेकिन भूमि के आवंटन की नीति में विलम्ब अथवा बदलाव, राज्य के नियामकों द्वारा पीपीए के अनुमोदन, रक्षा संबंधी मंजूरी के चलते परियोजना का कार्य निष्पादन पूरी तरह से प्रभावित होता है और कभी-कभी अत्यधिक विलंब होने से परियोजनाएं निवेश वातावरण पर प्रभाव पड़ने से अव्यवहार्य हो जाती है।

डिस्कॉमों की साख और भुगतानों में विलंब जैसे अन्य प्रमुख जोखिम कारक हैं इन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जिनसे , है। अनेक राज्य यूटीलिटी के लिए भुगतान में विलंब एक वर्ष से भी अधिक हो जाता है और यहां तक कि एक ही यूटीलिटी में पारंपरिक उत्पादकों की बजाय अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विलंब काफी अधिक हो जाता है। यह भी उनके प्राप्त टैरिफ में प्रदर्शित होता है क्योंकि यह , उनके राज्य की अक्षय ऊर्जा बोलियों में अधिक होता है।"

4.3 किसी ऐसे उदाहरण, जब किसी बाधा/वित्तपोषण की कमी के कारण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू नहीं की जा सकी, से संबंधित एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"अभी तक इरेडा या पावर फाइनेंस का पॅरिशनया आरईसी द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है। तथापि, बड़ी क्षमता की परियोजनाओं के वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने में इरेडा खासकर एक्सपोजर की ऊपरी सीमा के कारण विवश है । तथापि, सीमित नेटवर्थ के कारण आरबीआई के मानकों की अनुपालना में बड़े समूहों तक अतिरिक्त पहुंच बनाने में इरेडा को परेशानी हो रही है। अतः, भारत सरकार और सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से इक्विटी डाले जाने पर इस मामले का समाधान हो जाने की संभावना है।

यह भी सूचित किया गया है कि अधिकतर ओईएम और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला कंपनियां अपने विकास के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी (निधि और गैर-निधि आधारित) प्राप्त करने में बाधाओं का सामना कर रही

हैं। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि कई बैंकों की कुल राशि आरबीआई द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत थी, ऐसी अपेक्षा है कि आने वाली अवधि के दौरान मामलों का निपटान कर लिया जाएगा।"

4.4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाओं के उदाहरणों के बारे में बताते हुए, सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"अभी तक कोई फाइनेंसिंग की कंस्ट्रेंट उभर कर सामने नहीं आयी है। कुछ इंडिविजुअल स्कीम्स में शिकायतें आयी हैं। अगर पूरे सेक्टर को देखा जाए तो हमारा सेक्टर प्राइवेट इंवेस्ट से ड्रिवन है और इसमें अभी तक कोई सिस्टेमिक तौर पर शिकायत सामने नहीं आयी है कि वित्तपोषण एक बाधा है। यह बात सही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में जैसे सोलर रूफ टॉप है, जो हमारी स्कीम्स छोटे कंज्यूमर्स के लिए हैं, उसमें बैंक्स के संबंध में शिकायत आती रही है कि बैंक उधार देने में आनाकानी कर रहे हैं या उन्हें योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है."

4.5 मंत्रालय द्वारा यह बताया गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में प्रमुख चुनौती वित्तपोषण की मात्रा और अवधि के बारे में है क्योंकि हमें वर्तमान वार्षिक निवेश की तुलना में लगभग तीन गुना निवेश की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वार्षिक निवेश बढ़ाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"भारतीय अक्षय ऊर्जा (आरई) सेक्टर में पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान निवेश का दौर औसतन लगभग 9 से 10 बिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष रहा है, जिसमें सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट की क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, काफी हद तक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल और सेक्टर के लिए अनुकूल नीतियों ने विभिन्न ग्लोबल पेंशन फंड, सोवर्न वेल्थ फंड, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफआई), निजी

इक्विटी आदि के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने के लिए रास्ता तैयार किया है।

इस स्थिति में, नई परियोजनाओं में निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए नए टूल-वैकल्पिक निवेश कोष या बॉन्डों के संबंध में मुद्रा बाजार की गहनता काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेंशन फंड, एलआईसी/जीआईसी आदि जैसे दीर्घकालिक फंड का अक्षय ऊर्जा सेक्टर में निवेश अपेक्षित होगा, ताकि सेक्टर को किफायती दीर्घ-कालिक फंड उपलब्ध हो सके। इरेडा एआईएफ के रूप में एक उधार फंड बनाने की प्रक्रिया में है ताकि बड़े संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया जा सके, जिनके पास परियोजना स्तर पर अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में भाग लेने के लिए अन्यथा कोई प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं था। एआईएफ, से इरेडा को उन उधारकर्ताओं की नई परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में भी सहायता मिलेगी जो ऋण जोखिम (एक्सपोजर) सीमा के निकट हैं। कंपनी प्रमाणपत्रों के माध्यम से पास जारी करते हुए परिसंपत्ति-आधारित प्रतिभूतिकरण (एबीएस) की भी योजना बना रही है।"

4.6 मंत्रालय ने बताया कि केवल कुछ वित्तीय संस्थान और सीमित संख्या में बैंक इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए और अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"सचिव, एमएनआरई ने अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के अशा पत्र सं. 340-12/4/2018-इरेडा के माध्यम से सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में बढ़ोत्तरी करने और अक्षय ऊर्जा सेक्टर के लिए एक अलग ऋण सीमा निर्धारित करने के लिए बैंकों को कहने का अनुरोध किया है। साथ ही, डीएफएस ने अपने दिनांक 3 मार्च, 2020 के पत्र सं. 17/47/2019-आईएफआई के माध्यम से प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों और संगत आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित कार्रवाई करने के लिए भी

कहा। मंत्रालय ने भी इस संबंध में बैंकों को प्रत्यक्ष रुप में कहा है। यह मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में शामिल कराने के लिए की गई पूर्व कार्रवाई के अनुरूप है।"

4.7 आरबीआई ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 30 करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण वाली परियोजना को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह राशि बड़ी नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है, सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार यह बताया:

"आपने जो 30 करोड़ की बात कही है, वह बिल्कुल सही है कि वह पर्याप्त नहीं है, उसको इन्क्रीज करने की जरूरत है।"

4.8 मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजारों की तुलना में देश में ऋण वित्तपोषण की उच्च लागत परियोजनाओं की लागत को प्रभावित करती है। हालांकि अनुदान की मांगों (2021-22) की जांच के दौरान मंत्रालय द्वारा यह कहा गया था कि विदेशी मुद्रा ऋणों की हेजिंग के बाद की कुल पहुंच लागत और भारत सरकार की गारंटी शुल्क सहित घरेलू स्रोतों से संसाधन जुटाने की लागत से अधिक है। जब इन परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होने वाले बयानों में तालमेल बैठाने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा ऋण विनिमय दर परिवर्तन जोखिम, ब्याज दर परिवर्तन जोखिम आदि जैसे विभिन्न जोखिमों के अध्यधीन हैं। जोखिम कम करने के प्रयोजनार्थ, प्रतिरक्षा का सहारा लिया जाता है और इसमें प्रतिरक्षा लागत भुगतान शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार बकाया ऋण पर गारंटी प्रदान करने के लिए 1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष तक की दर से गारंटी शुल्क लेती है। आखिरकार, प्रतिरक्षा लागत और भारत सरकार का गारंटी शुल्क विदेशी मुद्रा की भारित लागत को स्वदेशी ऋण की तुलना

में अधिक बना देता है। वर्तमान परिदृश्य में स्वदेशी संसाधन पिछले 2 वर्षों से ज्यादा प्रतिस्पर्धी है।"

4.9 प्रशुल्क पर फिर से बातचीत करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों और इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने परमंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"कतिपय राज्यों (अर्थात् आन्ध्र प्रदेश और पंजाब) द्वारा टैरिफ पर फिर से बातचीत के कुछ मामले सामने आए हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य में मामला विचाराधीन है। हालांकि, मंत्रालय ने राज्यों के प्रति अपना रुख दोहराया है कि पीपीए का पालन किया जाना है और इन पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती है।"

4.10 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि हमारे पास देश में अतिरिक्त अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है और नवीकरणीय ऊर्जा की लागत दिन-ब-दिन घटती जा रही है, राज्यों को प्रशुल्क पर फिर से बातचीत करने की अनुमति नहीं देने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार कहा:

"अक्षय ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे बड़ी संख्या में विदेशी निवेश आकर्षित होता है। अक्षय ऊर्जा कंपनियों के माध्यम से भारत में विश्व के लगभग सभी सॉवरेन फंड, प्रमुख पेंशन फंड, पीई फंड द्वारा निवेश किए जाते हैं। यह क्षेत्र देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यदि ऐसी धारणा रही कि अनुबंधों का सम्मान नहीं किया जाना है, तो निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

टैरिफ ऐसे नियामकों द्वारा तय किए जाते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं - केन्द्र में एक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) होता है तथा राज्य स्तर पर विभिन्न राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) होते हैं। ये आयोग ही टैरिफ तय करते हैं। आयोग जन सुनवाई के बाद और सभी इनपुट लागतों की जांच के बाद टैरिफ तय करते हैं।बिजली खरीद करार (पीपीए) सभी हस्ताक्षरकर्त्ताओं के लिए बाध्यकारी अनुबंध होते हैं। यदि

इन अनुबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।“

4.11 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मंत्रालय/डेवलपर्स/ऋण देने वाली संस्थाओं के समक्ष आ रहे नियामक मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा स्वीकृति प्रदान करने में देरी के कारण डेवलपरों को वित्तीय व्यवस्थाओं और ऋण दाताओ से निधियां जारी करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.04.2021 के आदेश के पश्चात अक्षय ऊर्जा डेवलपरों/राज्य विद्युत विभागों (एसपीडी) भी राजस्थान और गुजरात में परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता मुद्दों पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं।"

4.12 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा प्रशुल्क के अनुमोदन में विलंब के मुद्दे का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार कहा:

“सेक्शन 86(1)(बी)में यह प्रॉविज़न है कि स्टेट रेगुलेटरी कमीशन पॉवर परचेस और उसके रेट्स पर सबको अप्रूवल करेगा। यह सही बात है कि अप्रूवल्स में डिले होता है। यह प्रॉब्लम पिछले चार-पाँच महीनों में ज्यादा आई है। बैंक्स ने अप्रूवल्स न होने की वजह से लेंडिंग से मना किया है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से परस्यू करते हैं**,** जैसे झारखण्ड में विनियामक आयोग मौजूद नहीं है। उसमें दो मेम्बर्स नहीं हैं या चेयरमैन नहीं है। इस तरह के केस में भी हम असहाय हैं लेकिन हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से परस्यू करते हैं।

4.13 समिति को सूचित किया गया कि डिस्कॉम की साख और भुगतान में विलंब वे प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्र हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा:

> "विद्युत मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि भारत सरकार दिनांक 30.06.2020 की मौजूदा स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) और ट्रांसमिशन कंपनियों (ट्रांसकोस), स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) और अक्षय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों के बकाया का भुगतान करने के लिए आरईसी और पीएफसी के सहयोग से एक लिक्विडिटी इन्फ्यूसन योजना (एलआईएस) की घोषणा की है। आरईसी और पीएफसी ने डिस्कॉमों की ओर से आरई उत्पादकों को 6577 करोड़ रु. की राशि जारी की है और इस योजना के तहत आरई उत्पादकों को किए गए भुगतान के लिए डिस्कॉमों को 711 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिस्कॉम अपने प्रदर्शन में सुधार करें, कतिपय सुधार लिंकेज के साथ एलआईएस को लाया गया है जिसका पालन राज्यों द्वारा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाना है। उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार ने पुनर्निर्मित सुधार-आधारित परिणाम संबद्ध वितरण योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है, जो राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉमों को उनके वित्तीय निष्पादन से जुड़ी वित्तीय सहायता की अनुमति देता है। इससे सुधारों को शुरू किया जा सकेगा और डिस्कॉमों के वित्तीय निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इससे डिस्कॉम भारत सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए अपात्र होंगे।"

अध्याय - पांच

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

5.1 मत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नवत उपाय किए गए हैं-

क. ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी

ख. त्वरित मूल्यह्रास, कमद रौंपरमाल और सेवाकर (जीएसटी), रिआयती सीमा शुल्क आदि जैसे पूंजीगत प्रोत्साहन

ग. अपनी प्राप्य राशियों में होने वाली देरी को पाटने के लिए से की द्वारा लगाई गई बोली वाली परियोजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र

घ. अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में साखपत्र (लेटरऑफक्रेडिट) को अनिवार्य बनाना

ङ विवाद समाधान समिति - सौर / पवन विद्युत डेवलपरों और से की / एनटीपीसी के बीच ऐसे संविदात्मक करार से हटकर, जो सौर / पवन ऊर्जा परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को सुगम बनाते अप्रत्याशित विवादों पर विचार करना

च. अक्षय ऊर्जा उद्योग संवर्धन एवं सुविधा बोर्ड का गठन

छ. जून 30, तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवनविद्युत की 2025 अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को माफ करना

ज. अक्ष्य ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना

झ. अक्षय अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करने के लिए और लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) पारेषण उपलब्ध कराना

ञ. अक्षय विद्युत की निकासी हेतु हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना

ट. सौर फोटो वोल्टेक प्रणाली / उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के रूप में पवन टर्बाइनों के लिए आरएलएमएम (मॉडलों और निर्माताओं की संशोधित सूची)

ठ. ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश

ड. भारतीय बिजली ग्रिड कोड के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 'मस्ट रन' स्टेटस

ढ. जी-टेम की शुरुआत और जी-डेम की शुरुआत करने पर विचार करना

5.2 कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

i) लॉकडाउन के दौरान अक्षय ऊर्जा (आरई) संयंत्रों का अबाध प्रचालन सुनिश्चित करना:

एमएनआरआरई ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों (आरईजीएम) (सौर विद्युत संयंत्र, पवन विद्युत संयंत्र, सौर-पवन हाइब्रिड विद्युत संयंत्र, लघु पन बिजली संयंत्र, बायोमास/बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र आदि) का बिना रुके आवश्यक प्रचालन सुनिश्चित करना सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया।

ii) कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और अवरोध के कारण लगभग 7.5 माह का समय-विस्तार

एमएनआरई ने कोविड-19 को अप्रत्याशित घटना के तौर पर मानने के संबध में आदेश जारी किए हैं और कोविड-19 के कारण लॉकडाउन और अवरोध के चलते अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 7.5 माह के समय-विस्तार की अनुमति प्रदान की है।

iii) इनवॉइसिंग को सुगम बनाना: हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी पर बल न देकर एमएनआरई ने हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्रदान करने पर बर देने की बजाय

इनवॉइस को ई-मेल पर और ऐसे मामले में जहां लॉकडाउन के कारण संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके, मीटर रीडिंग/डाउनलोड किए गए मीटर डेटा के फोटोग्राफ के आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों द्वारा तैयार किए गए इनवॉइस को स्वीकार करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

iv) मस्ट-रन, समय पर भुगतान और कोई कटौती न करने पर बल:

एमएनआरई ने यह स्पष्टीकरण जारी किए हैं कि अक्षय ऊर्जा (आरई) उत्पादन स्टेशनों को 'मस्ट रन' की स्थिति जारी की गई है और लॉकडाउन की अवधि के दौरान 'मस्ट रन' की इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, और साथ ही, डिस्कॉमों को निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि देश में कुल विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों का केवल लघु हिस्सा है, अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नियमित आधार पर भुगतान किया जाए, जिस प्रकार से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लॉकडाउन से पूर्व किया जाता रहा है। एमएनआरई ने यह दोहराते हुए निर्देश जारी किये कि अक्षय ऊर्जा को 'मस्ट रन' की स्थिति में रखा गया है और इसमें ग्रिड सुरक्षा कारणों से किसी भी कटौती को उत्पादन माना जाएगा।

v) बयाना राशि और निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में छूट:

दिनांक 12.11.2020 को प्रापण नीति प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, एमएनआरई ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

i. अनुबंध के मूल्य का वर्तमान 5-10 प्रतिशत से 3 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति में कमी करना।

ii. भविष्य के बोली दस्तावेजों में बोली प्रतिभूति प्रावधानों के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा का प्रावधान रखना

iii. असामान्य रुप से कम बोलियों के मामले में अतिरिक्त प्रतिभूति जमा/ बैंकगारंटी (बीजी) के संबंध में बोली दस्तावेजों में कोई प्रावधान न रखना

भाग-दो
समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि भारत का विद्युत क्षेत्र एनर्जी मिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पैठ से बदलाव महसूस कर रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित करनी है और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढाने का संकल्प लिया गया है। समिति को मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि हमारी दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की परिकल्पना की गई है जिसमें संबद्ध पारेषण लागत सम्मिलित है और देश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी जिसकी तुलना में विगत वर्षों में हमारा अनुमानित निवेश मात्र 75000 करोड़ रुपए के दायरे में ही रहा है। समिति पाती है कि अपेक्षित और वास्तविक निवेश में काफी अंतर है तथा इस अंतर को पूरा करना बहुत बड़ा काम है जिसके लिए सरकार द्वारा सृजित एक सक्षम ढांचा चाहिए। इस बात के मद्देनजर कि कुल ऋण आवश्यकता अधिक है तथा नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स की वित्तीय लागत को कम करना महत्वपूर्ण है, समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ), अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट्स), वैकल्पिक निवेश निधि, ग्रीन/मसाला बॉण्ड, क्राउड फन्डिंग इत्यादि जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्रों तथा वैकल्पिक निधीयन उपायों की संभावना तलाशने और उन्हें उपलब्ध कराने हेतु पूरी सक्रियता से कार्य करना चाहिए।

(दो) मंत्रालय, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व की तर्ज पर नवीकरणीय वित्त दायित्व निर्धारित करने की संभावना तलाश कर

सकता है ताकि वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक निर्धारित प्रतिशत का निवेश कर सकें ।

(तीन) चूंकि ग्रीन बैंक स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण में वैश्विक रूप से वृद्धि करने के नवीन साधन के रूप में उभरे हैं, इसलिए सरकार को ग्रीन बैंक तंत्र की स्थापना करने की संभावना तलाशनी चाहिए जिससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष लगातार सामने आ रही वित्त संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

2. समिति नोट करती है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) सरकारी क्षेत्र का एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए समर्पित है। 31 मार्च, 2021 तक इसने देश में 2800 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है जिसमें 96,250 करोड़ रुपए की संचयी ऋण मंजूरी तथा 16,165 मेगा वाट से अधिक ग्रीन पावर क्षमता संवृद्धि करने के लिए 63,158 करोड़ रुपए का संवितरण सम्मिलित है । हालांकि, समिति को मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया है कि इरेडा मुख्य रूप से ऋण मानदण्डों तथा अपने निम्न पूंजी आधार के कारण अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं की वित्तपोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाध्य है। समिति यह पाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इरेडा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखे। हालांकि इसका सीआरएआर वर्ष 2014-15 में 23.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 14.34 प्रतिशत रह गया है और वर्ष 2020-21 में हुए आंशिक सुधार से यह 17.12 प्रतिशत हो गया है जिससे और उधार लेना सीमित हो गया है । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने यह बताया है कि भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित इक्विटी निवेश जिससे लगभग 12000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सुविधा मिल जाएगी के अतिरिक्त इरेडा

और वित्तपोषण करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रहा है। चूंकि इरेडा वर्ष 1987 में अपने आरंभ से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का वित्तपोषण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसे इस क्षेत्र में सन्निहित जोखिमों की समझ है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु कम लागत वाले वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इरेडा को अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थानों अर्थात् एनएचबी, सिडबी, नाबार्ड, इत्यादि के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक से रेपो दर पर उधार लेने के लिए विशेष सुविधा दी जाए।

3. समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि कुछेक वित्तीय संस्थान और बैंक ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि सभी वित्तीय संस्थान व बैंक इस क्षेत्र के जोखिमों तथा लाभों से वाक़िफ नहीं हैं जो इसके वित्तपोषण की प्रमुख बाधाओं में से एक है । इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि हमारे वित्तीय प्रणाली के ढाँचे में कोई 'ग्रीन' तत्व नहीं है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को किसी अन्य परियोजना की भांति माना जाता है, क्योंकि पर्यावरण व समाज पर नवीकरणीय ऊर्जा के अप्रत्यक्ष लाभों पर प्राय: निवेश के समय विचार नहीं किया जाता है। समिति महसूस करती है कि ऐसे परिदृश्य में जहां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के मामले में बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण अनमना सा है, सरकारी क्षेत्र की ऋण देने वाली संस्थांओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को निधि प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है । समिति ने यह भी बताया है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बकाया कर्ज पर गारण्टी देने के लिए 1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक का गारण्टी शुल्क प्रभार लगाती है जिससे इन ऋणों की लैण्डेड (आयातित) लागत बढ़ जाती है । उपर्युक्त के मद्देनजर, समिति की राय है कि निधियों की लागत में कमी करने के लिए सहायक नीति संबंधी पहलों, छूटों,

रियायतों, इत्यादि के माध्यम से पीएफसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और इरेडा जैसे सरकारी स्वामित्व वालों क्षेत्र विशिष्ट ऋणदाताओं को सहायता और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को केएफडब्ल्यू, जेआईसीए, एडीबी इत्यादि जैसी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय एजेंसियों से धन जुटाने के लिए पीएफसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड तथा इरेडा को गारंटी शुल्क का भुगतान करने से छूट देने की संभावना का पता लगाना चाहिए अथवा वैकल्पिक तौर पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलेपमेंट के मामले की तर्ज पर रियायती दरों पर गारंटी शुल्क वसूल करना चाहिए।

4. समिति नोट करती है कि 31 मार्च, 2021 को इरेडा के पास 2,442 करोड़ रुपये के कुल ऋण बकाया के 94 गैर-निष्पादनकारी खाते (84 परियोजनाएं) तथा पीएफसी के पास 333.46 करोड़ रुपये के और आरईसी के पास 40.66 करोड़ रुपये के गैर-निष्पादनकारी खाते थे। समिति को यह बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का राजस्व अर्जन वर्ष-भर एक जैसा नहीं है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन बहुत ही मौसमी है क्योंकि अधिकांश उत्पादन एक मौसम विशेष के दौरान होता है। उदाहरण के लिए, मानसून के मौसम के दौरान पवन तथा छोटी पनबिजली परियोजनाओं से अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके परिणामस्वरूप, यदि कोई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कम ऊर्जा उत्पादन की अवधि के दौरान अपना बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसे एनपीए और परिसंपत्ति श्रेणीकरण से संबंधित आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार एनपीए माना जाएगा। समिति पाती है कि वित्तपोषण एवं निवेश से संबंधित विनियामक नीतियों को बनाते समय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की विशेष वास्वतिकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आरसीआई के विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के एनपीए बन जाने का खतरा अधिक है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा से राजस्व सृजन

वर्ष-भर एक समान न रह कर अधिकांशत: मौसमी और आंतरायिक होता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से अत्यधिक मौसम राजस्व सृजन के विषय से संबंधित विनियमों और दिशानिर्देश में आवश्यक छूट के मामले को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष उठाना चाहिए।

(दो) मंत्रालय को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने वाले सभी बैंकों से इस तरह के ऋण पुनर्गठन की बात करनी चाहिए कि उनकी मासिक किस्त अधिकतम राजस्व सृजन के मौसम में ज्यादा और कम राजस्व सृजन के मौसम में कम हो जाए।

5. समिति को अवगत कराया गया है कि प्रशुल्क दरों पर फिर से वार्ता का प्रयास एक ऐसा जोखिम है जिसने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। कुछ राज्यों ने बाजार विकास की आरंभिक दशा में तय की गई दरों को निरस्त करने अथवा फिर से तय करने का आश्रय लिया है। उस समय यह दरें अधिक थीं क्योंकि उस समय अधिक आगत लागत परियोजनाओं के ऋण भुगतान को दुष्प्रभावित कर रही थी। मंत्रालय का यह विचार रहा है कि पीपीए अलंघनीय हैं और उन पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राज्यों से लगातार यह बात करनी चाहिए कि पीपीए का एकपक्षीय निरस्तीकरण/उस पर पुनर्विचार से बचना चाहिए क्योंकि इससे अनिश्चितता आती है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पूंजीनिवेश पर नकारात्मक असर पड़ता है।

6. समिति नोट करती है कि विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 86(1) (ख) के अनुसार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत क्रय और प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है जिसमें उत्पादन कंपनियों से जिस दर

पर विद्युत क्रय की जायेगी वह भी शामिल है। तदनुसार, केन्द्र/राज्य विद्युत विनियामक आयागों को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से तय दरों का स्वीकार करना अपेक्षित होता है। तथापि समिति को अवगत कराया गया है कि विद्युत विनियामक आयागों द्वारा दर स्वीकृति आवेदनों के निपटान में विलंब के कारण विकासकर्ताओं को उधारदाताओं से वित्त जुटाने में परेशानी आ रही है। मंत्रालय ने बताया है कि विद्युत आयोगों से अनुमोदन में देरी के कई कारणों मे से एक कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति में विलंब है। समिति महसूस करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के साथ ही अनुमानित नियत लागत के पश्चात आक्रामक बोली प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और दरों को स्वीकार करने में विलंब होने से परियोजना का कार्यान्वयन मार्ग से भटक जाता है जिससे समय और लागत बढ़ने के कारण परियेाजना को व्यहार्यता प्रभावित होती है। अत: समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) विद्युत अधिनियम में समुचित संशोधन के जरिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को धारा 86 (1) (ख) के अंतर्गत याचिकाओं को अनुमोदन देने/उनका निपटान करने के लिए अधिकतम अवधि विहित की जानी चाहिए।

(दो) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों में पद रिक्त होने के बाद सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा भी विहित की जानी चाहिए।

7. समिति नोट करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को समय पर राजस्व वसूली में विकट चुनौतियों का सामना करना पड रहा है क्योंकि विभिन्न वितरण कंपनियों से भुगतान प्राप्त होने में अत्यधिक विलंब हुआ है जिसके कारण ऋण व्यहार्यता में समस्या आती है और इस तरह परिसंपत्तियां एनपीए बन जाती

हैं। यह बताया गया है कि यहां तक कि एक ही कंपनी में परंपरागत उत्पादन इकाइयों की तुलना में नवीकरणीय विकासकर्ताओं को यह विलंब विशेष रूप से अधिक होता है। समिति को जानकारी दी गई है कि वितरण कंपनियां नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर पीपीए शर्तों के अनुरूप छूट का दावा कर रही है जबकि वे नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को विलंबिन भुगतान अधिभार के रूप में देय राशि को देर से भुगतान करने पर क्षतिपूर्ति/दांडिक ब्याज का भुगतान करने की अनिच्छा दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि विनियामकों द्वारा अनुमोदित/अंगीकृत मानक पीपीए में भुगतान सुरक्षा का उपबंध होता है जिसमें सामान्यत: स्वत: परिक्रामी साख पत्र अथवा कभी-कभी भुगतान सुरक्षा निधि, एस्क्रौ इत्यादि शामिल होते है। तथापि अधिकांश ऐसे मामलों में जिनमें वितरण कंपनियों के साथ पीपीए कार्यान्वित किये जाते हैं, भुगतान सुरक्षा विलेख अर्थात् साख पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे है । उपर्युक्त के मद्देनजर, समिति सिफारिश करती है कि:

(एक) मंत्रालय को विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बकाया राशि के भुगतान में वितरण कंपनियों द्वारा हुए विलंब के लिए विकासकर्ताओं को क्षतिपूर्ति की जा सके।

(दो) मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं के वितरण कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित प्रत्येक पीपीए में भुगतान सुरक्षा विलेख का उपबंध होनी चाहिए और इनको अक्षरश: कार्यान्विन किया जाना चाहिए।

(तीन) मंत्रालय को राज्यों/वितरण कंपनियों से पहले मिले-पहले निपटाओ के आधार पर बकाया राशि का भुगतान कराने की कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि सबसे पुरानी बकाया राशि का भुगतान पहले हो सके।

8. समिति नोट करती है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को देश में "चलनी ही चाहिए (मस्ट रन)" का दर्जा प्राप्त है और इस प्रकार ग्रिड सुरक्षा कारणों के सिवाए उनमें कटौती नहीं की जा सकती है। मंत्रालय ने जानकारी दी है लॉकडाउन अवधि के दौरान भी "चलनी ही चाहिए" की स्थिति अपरिवर्तनीय रही। तथापि यह बताया गया कि ऐसे कुछ मामले हुए जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियेाजनाओं से ऊर्जा निकासी सूची को प्रतिबंधित किया गया जिससे नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को क्षमता हानि के साथ-साथ राजस्व हानि भी हुई। उपर्युक्त को देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रिड सुरक्षा के अलावा अन्य कारणों से कटौती किए जाने पर क्षतिपूर्ति हेतु सुस्पष्ट और प्रवर्तनीय दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

9. समिति नोट करती है कि रुफ टॉप सोलर के जरिए वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठापित करने का लक्ष्य है। किसानों को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुसुम योजना शुरु की गई है। समिति को अवगत कराया गया है कि रुफ टॉप सोलर और कुसुम जैसी योजनाएं जो लघु उपभोक्ताओं के लिए हैं, के मामलों में ऐसी शिकायतें मिली है कि बैंक इन्हें उधार देने हेतु अनिच्छुक है क्योंकि उन्हें इन योजनाओं की अधिक जानकारी नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, समिति सुझाव देती है मंत्रालय इस मामले में स्थानीय बैंकों के साथ मिलकर कार्रवाई करे तथा रूफ टॉप सोलर और कुसुम जैसी योजनाओं के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

10. समिति नोट करती है कि आरबीआई ने अधिकतम 30 करोड़ रुपये की ऋण राशि दिए जाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि 30 करोड़ रुपये की सीमा तक की ऋण राशि काफी नहीं है क्योंकि यह केवल छोटी नवीकरणीय ऊर्जा

परियोजनाओं के लिए कारगर होगी। अत:, इस सीमा को बढाए जाने की आवश्यकता है। आगे, मंत्रालय ने यह भी बताया कि कई बैंक जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी नहीं है, इतनी छोटी राशि की भी वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं करेंगे और अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के साथ अपने प्राथमिक क्षेत्र के ऋण दायित्वों को कवर कर लेगें। उपरोक्त को देखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि:-

(एक) प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु ऋण राशि की सीमा को बढ़ाया जाए। मंत्रालय को इस मामले पर वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिर्जव बैंक के साथ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए।

(दो) बैंकों को नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व तथा लाभों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे अपने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के संबंध में इस क्षेत्र की अनदेखी न करें ।

<u>नई दिल्ली;</u>
<u>जनवरी 31, 2022</u>
माघ 11, 1943 (शक)

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,
सभापति
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध - एक

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार इरेडा की गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियो का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता	डेवलपर का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	खाता ऋण (दिनांक 31.03.2021को बकाया) (करोड़ रु. में)	टैरिफ	एनपीए का वर्ष	एनपीए / स्ट्रेस्ड होने के कारण
1	शालीवाहन प्रोजेक्टस लि । -1756	महाराष्ट्र	10	शालीवाहन प्रोजेक्टस लि.	38.50	20.20	6.18	6.76 (अंतिम लागू टैरिफ) पीपीए समाप्त	2020-21	क) बायोमास कीमत में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप परियोजना अव्यवहार्य होगी ख) मार्च 2021 में पीपीए समाप्त हो चुका है और कंपनी द्वारा डिस्कॉम के साथ पीपीए को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत की जा रही है ।
2	श्री बसवेश्वर शुगर्स लि. - 1912	कर्नाटक	26	श्री बसवेश्वर शुगर्स लि .	128.50	89.95	87.71	3.68 प्रति यूनिट	2020-21	क) डिस्कॉम से भुगतान में देरी ख) टैरिफ में कमी के कारण परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित
3	खंडालेरु पावर कंपनी लिमिटेड (2123)	आंध्र प्रदेश	6	खंडालेरु पावर कंपनी लिमिटेड	33.02	22.00	21.53	3.73 (पीपीए के अनुसार)	2020-21	क) डिस्कॉम द्वारा विद्युत बिक्री आय का भुगतान न करना ख) डिस्कॉम द्वारा टैरिफ पर विवाद और मामला न्यायाधीन है
4	खंडालेरु पावर कंपनी लिमिटेड (1945)	कर्नाटक	1.4	खंडालेरु पावर कंपनी लिमिटेड	7.25	5.00	2.36	2.8 (पीपीए के अनुसार)	2020-21	कंपनी द्वारा बकाये का समय पर भुगतान किया जा रहा है। तथापि, चूंकि इसी कंपनी की अन्य परियोजना एनपीए है, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस खाते को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है
5	मार्सोल सोलर प्राइवेट लिमिटेड - 2381	महाराष्ट्र	576 घन मीटर	मार्सोल सोलर प्राइवेट लिमिटेड	1.82	1.10	0.92	5 प्रति किला (सीएसटी)	2020-21	परियोजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित स्थापना स्थल (छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, थाणे, महाराष्ट्र) तक पहुंच प्रतिबंधित थी क्योंकि उक्त अस्पताल को वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड केयर में परिवर्तित किया गया था।

6	एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड - 2039	कर्नाटक	83.05	एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	567.36	174.00	67.86	3.40 प्रति किलो वाट घंटे	2020-21	क) 59 में से 11 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्लूटीजी), जो रि-जेनमेक के हैं, में तकनीकी कारणों से पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है और चूंकि ओएंडएम ठेकेदार अर्थात मेसर्स रिजेन इन्फ्रास्टकचर सर्विसेज प्रा. लि. (आरआईएसपीएल) पर एनसीएलटी में मामला चल रहा है, अतः उनका रखरखाव नहीं किया जा रहा है, ख) पवन परिवर्तनशीलता
7	जेडआर अक्षय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड -2336	आंध्र प्रदेश	16	जेडआर अक्षय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	127.54	89.88	87.05	4.34 प्रति किलो वाट घंटे	2020-21	क) टैरिफ संबंधी मामला न्यायाधीन है ख) डिस्कॉम से भुगतान में देरी
8	ऋषभ रेनेर्जी प्राइवेट लिमिटेड - 2101	राजस्थान	10	ऋषभ रेनेर्जी प्राइवेट लिमिटेड	77.70	54.80	37.26	5.45 प्रति किलो वाट घंटे	2020-21	क) परिसंपतियों के अपर्याप्त रखरखाव के कारण परियोजना का निष्पादन प्रभावित हुआ (परिकल्पित 21 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत पीएलएफ)
9	फोटॉन सनबीम प्राइवेट लिमिटेड - 2229	पंजाब	40	फोटोन सनबीम प्राइवेट लिमिटेड	300.22	143.80	122.23	5.57 प्रति किलो वाट घंटे - पीपीए 5.08 प्रति किलो वाट घंटे वर्तमान बिलिंग	2020-21	टैरिफ संबंधी मामला न्यायाधीन है और वित्तीय व्यवहार्यता प्रभावित हुई।
10	एनरकॉन विंड फार्म (साई) प्राइवेट लिमिटेड - 1781	महाराष्ट्र	20	एनरकॉन विंड फार्म (साई) प्राइवेट लिमिटेड	103.25	87.76	6.15	5.05 प्रति यूनिट	2020-21	डिस्कॉम से भुगतान में देरी
11	वायु इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड - 2124	राजस्थान , गुजरात, तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश	202.4	वायु इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1185.00	120.00	91.49	राजस्थान (4.46)	2020-21	क) तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के डिस्कॉमों से भुगतान में देरी ख) इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश डिस्कॉम्स द्वारा टैरिफ को 2.43 रु. प्रति यूनिट तक कम किया गया है।
12	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड - 0023एसटी	महाराष्ट्र	0	सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड - 0023एसटी	599.14	300.00	130.90	2.69 प्रति किलो वाट-घंटे	2019-2020	मेसर्स हीरो विंड एनर्जी (प्रा.) लि. की 100 मेगावाट पवन परियोजना को पूरा करने के लिए कंपनी की परियोजना विशिष्ट आवश्यकता के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। परियोजना प्राप्तियों पर इरेडा के अनन्य प्रभार के लिए भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता वाले सहायता-समूह

										द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया। भूमि अधिग्रहण में देरी, निकासी मंजूरियां आदि सहित विभिन्न कारणों से परियोजना कार्यान्वयन में देरी हुई, और ऋण एनपीए श्रेणी में परिवर्तित हुआ।
13	वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड - 2329	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	0	वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड - 2329	3900.00	200.00	83.39	383.40 करोड़ रु. का वार्षिक स्तरीकृत टैरिफ	2019-2020	कंपनी एस्सेल समूह की है, जिसके समक्ष तरलता का संकट है और वह आगे निधियों का निवेश करने की स्थिति में नहीं है तथा परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार खाता एनपीए श्रेणी में आ गया।
14	ऋषभ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड - 2293	कर्नाटक	14	ऋषभ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड - 2293	91.50	68.50	61.46	4.36 प्रति किलोवाट घंटे	2019-2020	क) टैरिफमेंकमी ख) डिसकॉम से भुगतान में देरी ग) पर्याप्त निकासी सुविधा की कमी
15	नवांशहर पावर प्राइवेट लिमिटेड-2186	पंजाब	15	नवांशहर पावर प्राइवेट लिमिटेड-2186	73.28	51.29	48.74	6.85 प्रति यूनिट	2019-2020	क) डिस्कॉम से भुगतान में देरी ख) ऑफ-सीजन के दौरान संयंत्र का प्रचालन न होना, जिससे परियोजनाकी वित्तीय व्यवहार्यता में कमी आई है।
16	वायु ऊर्जा लिमिटेड - 2169	कर्नाटक	3	वायु ऊर्जा लिमिटेड - 2169	292.40	100.00	82.00	लागू नहीं (विनिर्माण)	2019-2020	क) वर्ष 2018 के बाद भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार में कमी जिससे पुराने डिजाइन का उपयोग करते हुए ग्रीन फील्ड विनिर्माण की स्थापना के लिए कम संभावना है।
17	कैम्ब्रिज ऊर्जा संसाधन (प्रा.) लि. - 2128	उत्तर प्रदेश	4.23	कैम्ब्रिज ऊर्जा संसाधन (प्रा.) लि. - 2128	58.12	40.68	27.28	प्रथम 7 वर्षों के लिए 60207 रु. प्रति साइट प्रतिमाह और अगले 2 वर्षों के लिए 41709 रु. प्रति साइट प्रतिमाह	2019-2020	क) ऑफ-ग्रिड सौर परियोजना।ऑफटेकरद्वारा संविदा को समाप्त करना।
18	महिदद पवन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड - 2114	गुजरात और कर्नाटक	84.8	महिदद पवन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड - 2114	555.59	150.00	69.41	वार्षिक 1.27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 4.40	2019-2020	क) आईएलएंडएफएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्वामित्व वाली परियोजनाऔर भारत सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए समस्त समूह का मामला एनसीएलटीमें भेजा गया है, जहां पर उक्त खाते को रेड केटेगरी में

								रु. प्रति किलो वाट घंटे		वर्गीकृत किया गयाहै।
19	सिद्धनाथ शुगर मिल्स लि. - 2094	महाराष्ट्र	26	सिद्धनाथ शुगर मिल्स लि. - 2094	102.65	38.04	30.70	6.63 प्रति यूनिट	2019-2020	क) वर्ष 2019 में क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण संयंत्र शुरु नहीं हो सका और 2019-20 के पेराई मौसम के दौरान उत्पादन नहीं कर सका।
20	नारायण-गढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड - 2013	हरियाणा	25	नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड - 2013	115.00	103.39	99.68	6.50 प्रति यूनिट	2019-2020	क) डिस्कॉम से टैरिफ संबंधी मामला ख) ऑफ-सीजन के दौरान संयंत्र का बंद रहना, जिससे परियोजनाकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हुई।
21	गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लि.- 1967	महाराष्ट्र	30	गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लि. - 1967	159.45	100.00	51.08	4.79 प्रति यूनिट	2019-2020	क) सूखा पड़ने और पेराई के मौसम में क्षेत्र में गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण।
22	श्री चामुंडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड - 1953	कर्नाटक	0	श्री चामुंडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड - 1953	15.91	11.13	9.54	3.89 प्रति यूनिट	2019-2020	क) परियोजना के कार्यान्वयनमें शुरुआती विलंब के कारण लागत और समय में बढ़ोत्तरी हुई जिससे परियोजना के शुरु होने में और देरी हुई।
23	श्री चामुंडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड- 1914	कर्नाटक	18	श्री चामुंडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड- 1914	84.60	87.00	82.65		2019-2020	क) परियोजना के कार्यान्वयनमें शुरुआती विलंब के कारण लागत और समय में बढ़ोत्तरी हुई जिससे परियोजना के शुरु होने में और देरी हुई।
24	गिल पावर जनरेशन कंपनी प्रा. लिमिटेड - 1397	पंजाब	3	गिल पावर जनरेशन कंपनी प्रा. लिमिटेड - 1397	9.25	19.58	18.09	3.66 - बाबेहल्ली (1.5 मेगावाट) एवं 5.16 - कुंजुर (1.5 मेगावाट)	2019-2020	क) मशीनरियों के ब्रेकडाउन के कारण
25	टिस्सा पावर ट्रांसमिशन प्रा.लि.	हिमाचल प्रदेश	0	टिस्सा पावर ट्रांसमिशन प्रा.लि.	0.00	54.97	1.39	कोई टैरिफ नहीं	2019-2020	डिस्कॉम से भुगतान में देरी
26	विश विंड इन्फ्रा-स्ट्रक्चर एलएलपी- 1936	राजस्थान	16	विश विंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी - 1936	89.06	57.88	28.45	वर्ष 2010-11 के लिए स्तरीकृत टैरिफ	2018-2019	क) कम उत्पादन ख) डिस्कॉम से देरी से भुगतान

27	टैक्सस इन्फ्रा-स्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 1956 और 1956-1	गुजरात	5	टैक्सस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 1956 और 1956-1	73.85	49.30	36.74	प्रथम 12 वर्षों के लिए 9.13 प्रति यूनिट और अगले 13 वर्षों के लिए 7 रु. प्रति यूनिट	2018-2019	क) चालू होने में देरी के कारण टैरिफ में कमी ख) चक्रवात के कारण मॉड्यूलों को नुकसान.
28	विश विंड इंफ्रा-स्ट्रक्चर लिमिटेड 1954 और 1954 एफ1	गुजरात	50.4	विश विंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1954 और 1954 एफ1	283.20	198.24	138.01	3.61 प्रति यूनिट	2018-2019	क) कम उत्पादन ख) परियोजना राजस्व से अक्षय ऊर्जा प्रमापत्र (आरईसी) की प्राप्ति न होना
29	धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 1921 और 1921 एफ1	तमिलनाडु	22	धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 1921 और 1921 एफ1	110.19	74.92	44.25	4.46 प्रति यूनिट	2018-2019	सूखा पड़ने और परियोजना से कम उत्पादन होने के कारण
30	धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 2030	तमिलनाडु	30	धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 2030	156.48	109.00	13.52	3.70 प्रति यूनिट	2018-2019	कंपनी के पास इक्विटी निवेश के लिए कम नकदी प्रवाह के कारण परियोजनाका कार्यान्वयननहीं हो सका।
31	मनाली शुगर्स लिमिटेड 1915 और 1915 एफ1	कर्नाटक	15	मनाली शुगर्स लिमिटेड 1915 और 1915 एफ1	44.30	31.00	26.79	3.68 प्रति यूनिट	2018-2019	2019 के पेराई के मौसम में सूखा पड़ने और गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण
32	इंड-बराथएनर्जिस लि. 1655	आंध्र प्रदेश	20	इंड-बराथएनर्जि सलि. 1655	65.10	16.94	1.78	कोई टैरिफ लागू नहीं	2018-2019	कंपनी ने प्रमुख हिस्से की अदायगी कर दी थी, तथापि ब्याज सब्सिडी हिस्से की अदायगी में चूक हुई।
33	गौ समृद्धि 2108	हरियाणा	0	गौ समृद्धि 2108	1.70	1.18	1.08	42 रु प्रति किलोग्राम सीएनजी	2017-2018	कार्यशील पूंजी मामलों के कारण बिक्री राजस्व की कम प्राप्ति
34	विंड वर्ल्ड इंडिया इंफ्रा-स्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड 2055	गुजरात और कर्नाटक	663 एमवीए	विंड वर्ल्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड 2055	160.75	90.00	75.88	लागू नहीं, सब-स्टेशन ऋण	2017-2018	मूल कंपनी मेसर्स विंड वर्ल्ड इंडिया लि. जो परियोजना के लिए ओएंडएम ठेकेदार भी है, एनसीएलटीमें है और प्रमोटर कंपनी के आरपी ने परियोजना से उत्पन्न राजस्व को रोक रखा है।
35	ग्रीन एलीफेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड 2028	महाराष्ट्र	0	ग्रीन एलीफेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड 2028	16.10	8.10	5.96	42 रु.प्रति Nm^3	2017-2018	बायोगैस के दाम प्रतिस्पर्धी नहीं थे जिससे वित्तीय संकट पैदा हुआ।

36	लोकशक्ति 2024	महाराष्ट्र	14	लोकशक्ति 2024	56.84	39.78	39.06	कोई टैरिफ लागू नहीं	2017-2018	परियोजना के कार्यान्वयनमें देरी
37	एनरकॉन इंडिया इंफ्रा-स्ट्रक्चर प्रा। लिमिटेड 2005	गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	363 एमवीए	एनरकॉन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड 2005	135.96	90.00	40.42	लागू नहीं, सब-स्टेशन ऋण	2017-2018	मूल कंपनी मेसर्स विंड वर्ल्ड इंडिया लि. जो परियोजना के लिए ओएंडएम ठेकेदार भी है, एनसीएलटीमें है और प्रमोटर कंपनी के आरपी ने परियोजनासेउत्पन्न राजस्व को स्थगित रखा है।
38	ग्रीन एलीफेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड 1910	महाराष्ट्र	0	ग्रीन एलीफेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड 1910	10.82	5.41	1.95	42 रु. प्रति Nm^3	2017-2018	बायोगैस की कीमत प्रतिस्पर्धी नहीं थी जिससे वित्तीय स्ट्रेस उत्पन्न हुआ।
39	पॉवरोनिक्स 1471	कर्नाटक	6	पॉवरोनिक्स 1471	24.29	15.24	1.77	4.36 प्रति यूनिट	2017-2018	क) बायोमास की कीमत में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप परियोजना अव्यवहार्य हुई। ख) कम टैरिफ का मामला
40	शिवा रिन्यूएबल पावर एंड एनर्जी लिमिटेड-1987	महाराष्ट्र	19	शिवा रिन्यूएबल पावर एंड एनर्जी लिमिटेड-1987	157.03	100.00	59.50	5.64 प्रति यूनिट (10 मेगावाट के लिए). 5.70 (4 मेगावाट के लिए)	2016-2017	क) डिस्कॉम से भुगतान में देरी और ख) मार्गाधिकार (आरओडब्लू) का मामला
41	जेएचवी शुगर्स लिमिटेड 1947	उत्तर प्रदेश	20	जेएचवी शुगर्स लिमिटेड 1947	87.83	57.11	16.93	कोई टैरिफ लागू नहीं (परियोजना स्थगित)	2016-2017	प्रमोटर के वित्तीय स्ट्रेस के कारण परियोजना के कार्यान्वयनमें देरी
42	वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रा। लिमिटेड 1922	छत्तीसगढ	24.75	वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रा। लिमिटेड 1922	660.38	243.68	234.68	5.96 प्रति यूनिट	2016-2017	इक्विटी निवेश में देरी के कारण परियोजना के कार्यान्वयनमें देरी
43	सरोज एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1877 और 1877सी	कर्नाटक	1.5	सरोज एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1877 और 1877सी	15.66	6.40	9.84	5.25 प्रति यूनिट	2016-2017	वर्ष 2016 से 2018 तक परियोजना कैचमेंट क्षेत्र (इग्गलुर बराज, रामनगर, कर्नाटक) में सूखा पड़ने के कारण
44	एनसीएमएल-1940	तमिलनाडु	2	एनसीएमएल-1940	12.50	8.75	4.85	कोई टैरिफ लागू नहीं	2015-2016	कंपनी के मुख्य व्यापार अर्थात खाद्य तेल में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप कम राजस्व की प्राप्ति हुई
45	एसकेजे पावर 844	आंध्र प्रदेश	1.5	एसकेजे पावर 844	7.25	6.32	2.01	3.32 प्रति यूनिट	2015-2016	क) परियोजना कैचमेंट क्षेत्र (नागार्जुन सागर बांध के राइट बैंक केनाल) में सूखा पड़ने के कारण

										ख) सिंचाई विभाग द्वारा नियंत्रित जल छोड़े जाने के कारण शून्य /कम उत्पादन
46	एसएलएस हाइड्रो पावर - 1858 और 1858सी	आंध्र प्रदेश	24	एसएलएस हाइड्रो पावर - 1858 और 1858 सी	232.12	151.50	151.50	4.00 प्रति यूनिट	2014-2015	क) गाद की समस्या के कारण कम उत्पादन हुआ ख) टैरिफ संबंधीमामला
47	दक्षिण पश्चिम हाइड्रो -1824 और 1824-1	कर्नाटक	5	दक्षिण पश्चिम हाइड्रो - 1824 और 1824-1	35.45	20.29	22.44	3.40 प्रति यूनिट	2014-2015	सिंचाई के लिए जल के बहाव को मोड़ दिये जाने के कारण कम उत्पादन
48	साई कृपा शुगर्स-1978	महाराष्ट्र	40	साई कृपा शुगर्स-1978	153.73	121.03	90.72	4.79 प्रति यूनिट	2013-2014	सूखा पड़ने के कारण गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता रही
49	सारदंबिका पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड - 1743	महाराष्ट्र	10	सारदंबिका पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड -1743	42.35	39.63	21.26	5.35 प्रति यूनिट	2013-2014	क) बायोमास की कीमत में बढ़ोत्तरी होने के परिणामस्वरूप परियोजना की अव्यवहार्यता ख) कम टैरिफ मामला
50	रायपति पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड-1732	आंध्र प्रदेश	7.5	रायपति पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड-1732	28.78	20.14	20.14	5.03 प्रति यूनिट	2013-2014	क) बायोमास की कीमत में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप परियोजना की अव्यवहार्यता ख) कम टैरिफ मामला
51	कोणार्क पावर लिमिटेड-1577	कर्नाटक	6	कोणार्क पावर लिमिटेड-1577	23.76	16.63	8.84	3.42/ यूनिट	2013-2014	क) बायोमास की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप परियोजना अव्यवहार्य हो गई। ख) कम टैरिफ मामला
52	कोगंती पावर लिमिटेड - 1472	कर्नाटक	6	कोगंती पावर लिमिटेड - 1472	24.29	16.95	15.43	तीसरे पक्ष के साथ शॉर्ट टर्म पीपीए	2013-2014	क) बायोमास की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप परियोजना अव्यवहार्य हो गई। ख) कम टैरिफ मामला
53	1535 गैंजेजप्रेसिंग	महाराष्ट्र	1.05	गंगा प्रेसिंग 1535	5.33	3.53	0.69	कोई टैरिफ लागू नहीं	2011-12	कंपनी का मुख्य कारोबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। परियोजना से प्राप्त बिजली का ऐसे कैप्टिव उपयोग नहीं किया जा सका जिसके लिए संयंत्र स्थापित किया गया था।
54	निडो एनर्जी 1935	अरुणाचल प्रदेश	10	निडो एनर्जी 1935	79.61	55.00	0.001	3.90/ यूनिट	2012-13	क) कंपनी के प्रमोटरों के बीच विवाद होने के कारण परियोजना को बीच मे ही छोड़ दिया गया।
55	भद्रगिरी पावर 1823	कर्नाटक	3	भद्रगिरी पावर 1823	19.82	13.88	0.001	2.80/ यूनिट	2011-12	क) कंपनी के प्रमोटरों के बीच विवाद होने के कारण परियोजना को बीच मे ही छोड़ दिया गया।

56	श्री केदारनाथ शुगर्स 1803	महाराष्ट्र	18	श्री केदारनाथ शुगर्स 1803	54.50	24.50	0.001	2.80/ यूनिट प्रति वर्ष 2% की वृद्धि के साथ	2011-12	चीनी कारखाना कार्यशील पूंजी निधि में कमी के कारण प्रचालन नहीं कर सका, जिसके कारण सह उत्पादन संयंत्र प्रचालन नहीं कर सका।
57	नोबल डिस्टिलरीज 1802	कर्नाटक	8	नोबल डिस्टिलरीज 1802	30.44	21.30	0.001	कोई शुल्क नहीं	2011-12	कंपनी का मुख्य कारोबार विफल होने के कारण परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया।
58	सुचंद पावर 1365	आंध्र प्रदेश	6	सुचंद पावर 1365	24.26	16.68	0.001	5.5/ यूनिट	2011-12	अधिक बायोमास कीमत जिसके कारण परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित हुई एवं संयंत्र का संचालन बंद हो गया।
59	रामसरूप 1726	महाराष्ट्र	3.75	रामसरूप 1726	17.84	12.48	0.001	कोई टैरिफ लागू नहीं	2010-11	हानियों और रखरखाव से संबंधित मामलों के कारण पीएलएफ में कमी। कंपनी के मुख्य कारोबार अर्थात स्पंज आयरन की विफलता।
60	बोनाल हाइड्रो 1616	कर्नाटक	1	बोनाल हाइड्रो 1616	5.67	3.90	0.001	3.32/ यूनिट	2010-11	सूखे की स्थिति और पानी के डाइवर्जन के कारण कम उत्पादन।
61	श्री रायलसीमा ग्रीन 1889	आंध्र प्रदेश	5.5	श्री रायलसीमा ग्रीन 1189	20.30	15.00	0.001	3.32/ यूनिट	2009-10	अधिक बायोमास मूल्य जिसके कारण परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित हुई और संयंत्र का संचालन बंद हो गया।
62	फंड प्वाइंट 1076	कर्नाटक	0	फंड प्वाइंट 1076	0.16	0.14	0.001	कोई प्रशुल्क नहीं	2009-10	पर्याप्त धनराशि न होने के कारण कंपनी ऋण की अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर सकी।
63	चिज़ामी ग्राम परिषद-1505	नगालैंड	0.2	चिज़ामी ग्राम परिषद -1505	11.75	0.82	0.001	2.00/ यूनिट	2007-08	संयंत्र से बिजली और पानी के बंटवारे के संबंध में दो गांवों के बीच मतभेदों के कारण परियोजना बंद हो गई।
64	श्रीराम एनर्जी 1506	आंध्र प्रदेश	6	श्रीराम एनर्जी 1506	25.60	7.45	0.001	कोई लागू टैरिफ नहीं	2006-07	कम गुणवत्ता और नगर पालिका द्वारा कचरे के पृथक्करण की कमी के कारण परियोजना का संचालन नहीं हो रहा है।
65	भाग्यनगर सॉल्वेंट 1469	कर्नाटक	6	भाग्यनगर सॉल्वेंट 1469	24.29	16.95	0.001	4.27/ यूनिट	2006-07	अधिक बायोमासकीमत मूल्य के कारण परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित हुई और संयंत्र का संचालन बंद हो गया।
66	वामशी इंडस्ट्रीज 1090	आंध्र प्रदेश	4	वामशी इंडस्ट्रीज 1090	16.55	11.50	0.001	5.50/ यूनिट	2006-07	अधिक बायोमास कीमत मूल्य के कारण परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित हुई और संयंत्र का संचालनबंद हो गया।
67	श्री सूर्यचंद्र 1092	आंध्र प्रदेश	1.7	श्री सूर्यचंद्र 1092	8.40	6.30	0.001	कोई टैरिफ नहीं (कमीशन नहीं)	2005-06	प्रोमोटरों द्वारा और अधिक इक्विटी लगाने में असमर्थता के कारण परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका।
68	श्री सूर्यचंद्र 1083	आंध्र प्रदेश	1.7	श्री सूर्यचंद्र 1083	8.55	6.40	0.001		2005-06	

69	श्री सत्यनारायण पावर 1381	आंध्र प्रदेश	4	श्री सत्यनारायण पावर 1381	16.48	11.50	0.001	कोई टैरिफ नहीं (कमीशन नहीं)	2004-05	कंपनी के प्रमोटरों के बीच विवाद के चलते परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया
70	बीएल फ्यूज गियर 721	गुजरात	0.006	बीएल फ्यूज गियर 721	0.04	0.04	0.001	कोई शुल्क नहीं	2004-05	कंपनी द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका।
71	अरुणाचलम शुगर 1155 और 1155-1	तमिल नाडु	--	अरुणाचलम चीनी 1155 और 1155-1	10.36	7.61	0.002	2.50/ यूनिट	2003-04	चीनी कारखाना कार्यशील पूंजी निधि में कमी के साथ साथ सह-उत्पाद संयंत्र के संचालित नहीं होने के कारण चालू नहीं हो सका
72	न्यू होराइजन शुगर 1154 और 1154-1	तमिलनाडु	--	न्यू होराइजन शुगर 1154 और 1154-1	18.00	15.54	0.002	कोई टैरिफ नहीं	2003-04	
73	अरुणाचलम शुगर 968 और 968-1	तमिलनाडु	14	अरुणाचलम चीनी 968 और 968-1	55.40	31.50	0.002	2.50/ यूनिट	2003-04	
74	सूर्या टेक सिस्टम प्रा. लिमिटेड 1393	कर्नाटक	--	सूर्या टेक सिस्टम प्रा. लिमिटेड 1393	0.18	0.15	0.001	कोई शुल्क नहीं	2002-03	यह ऋण सौर जल तापन प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था। कंपनी का प्रमुख व्यवसाय प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ऋण भुगतान में डिफॉल्ट हुआ।
75	सुजस एनर्जी 1280	गुजरात	1.5	सुजस एनर्जी 1280	0.48	0.34	0.001	कोई टैरिफ लागू नहीं	2002-03	उपलब्ध बायोमास/कृषि अवशिष्ट की गुणवत्ता की तुलना में प्रौद्योगिकी का बेमेल होना
76	ओचा पाइन ईंधन 1178	हिमाचल प्रदेश	1.5	ओचा पाइन ईंधन 1178	0.50	0.37	0.001	कोई लागू टैरिफ नहीं	2002-03	उपलब्ध बायोमास/कृषि अवशिष्ट की गुणवत्ता की तुलना में प्रौद्योगिकी का बेमेल होना
77	एनबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1146	महाराष्ट्र	5.4	एनबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 1146	43.95	8.45	0.001	कोई लागू टैरिफ नहीं	2002-03	बाद के चरण में प्रमोटरों द्वारा रुचि की कमी के कारण परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया।
78	कर्नाटक फिन. सर्विसेस -809	कर्नाटक	--	कर्नाटक फिन. सेवाएं -809	1.33	1.00	0.001	कोई प्रशुल्क नहीं	2002-03	मुख्य कारोबार की विफलता
79	वाइन बायो ईंधन 1177	आंध्र प्रदेश	0	वाइन बायो ईंधन 1177	0.47	0.30	0.001	कोई प्रशुल्क नहीं	2001-02	उपलब्ध बायोमास/कृषि अवशिष्ट की गुणवत्ता की तुलना में प्रौद्योगिकी का बेमेल होना
80	आंध्र प्रदेश विद्युत परियोजनाएं-910	आंध्र प्रदेश	2	आंध्र प्रदेश विद्युत परियोजनाएं -910	9.00	6.75	0.001	3.00/ यूनिट	2001-02	प्रमोटरों द्वारा इक्विटी निवेश की कमी के कारण परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया गया था।
81	एसपीवी पावर 525	तमिलनाडु	0	एसपीवी पावर 525	1.18	0.74	0.001	कोई शुल्क नहीं	2001-02	एसपीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए ऋण दिया गया था। बाजार नहीं मिलने के चलते फैक्ट्री बंद है।

82	अहमदाबाद महिला नागरिक 1013	गुजरात	--	अहमदाबाद महिला नागरिक 1013	1.67	1.50	0.001	कोई टैरिफ लागू नहीं	2000-01	कारोबार बंद
83	विटारा केमिकल्स 811	महाराष्ट्र	--	विटारा केमिकल्स 811	0.26	0.22	0.001	कोई शुल्क नहीं	1999-00	फैक्ट्री परिसर में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और पावर प्लांट के लिए ऋण दिया गया। कंपनी के मुख्य कारोबारका परिचालन बंद कर दिया गया हैं।
84	रौनक फाइनेंस 733	मध्य प्रदेश	0.45	रौनक फाइनेंस 733	1.64	1.07	0.001	3.32/ यूनिट	1997-98	कारोबार बंद
85	महाकृष्ण फाइनेंशियल 543	तमिलनाडु	0.25	महाकृष्ण फाइनेंशियल 543	0.82	0.66	0.001	2.70/ यूनिट	1997-98	कारोबार बंद
86	ज़ेन ग्लोबल III 529	तमिलनाडु	1.98	ज़ेन ग्लोबल III 529	6.60	5.94	0.001	कोई टैरिफ लागू नहीं	1997-98	कारोबार बंद
87	एनईपीसी एग्रो 462	मध्य प्रदेश	1	एनईपीसी एग्रो 462	2.98	2.68	0.001	2.70/ यूनिट	1997-98	कारोबार बंद
88	ज़ेन ग्लोबल III 427	तमिलनाडु	0.41	ज़ेन ग्लोबल III 427	1.45	1.26	0.001	2.70/ यूनिट	1997-98	कारोबार बंद
89	ज़ेन ग्लोबल आई 426	तमिलनाडु	0.41	ज़ेन ग्लोबल आई 426	1.45	1.26	0.001	2.70/ यूनिट	1997-98	कारोबार बंद
90	न्यूम पावर कंपनी लि.404	तमिलनाडु	5	न्यूम पावर कंपनी लिमिटेड 404	19.00	3.00	0.001	कोई टैरिफ नहीं (कमीशन नहीं)	1996-97	प्रमोटरों द्वारा इक्विटी का निवेश न करने के कारण परियोजना को बीच में छोड़ दिया गया
91	सिलिकल मेटलर्जिक 485	केरल	16	सिलिकल मेटलर्जिक 485	47.26	24.85	0.001	कोई टैरिफ नहीं (कमीशन नहीं)	1995-96	परियोजना छोड़ दी गई।
92	जीएसएल (भारत) 265	गुजरात	2	जीएसएल (भारत) 265	8.59	6.44	0.001	3.32 / यूनिट	1995-96	चक्रवात के कारण परियोजना को क्षति हुई।
93	विजयश्री केमिकल्स 256	उत्तर प्रदेश	550 घन मीटर	विजयश्री केमिकल्स 256	6.16	1.50	0.001	3.32 / यूनिट	1995-96	मुख्य कारोबार विफल हो गया जिसके कारण कंपनी दिवालिया हो गई।
94	एडी जैव ईंधन 152	उत्तर प्रदेश	1.5	एडी जैव ईंधन 152	0.53	0.37	0.001	कोई प्रशुल्क नहीं	1994-95	उपलब्ध बायोमास/कृषि अवशिष्ट की गुणवत्ता की तुलना में प्रौद्योगिकी का बेमेल होना
कुल							**2441.55**			

अनुबंध - दो

दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार, - अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित पीएफसी के एनपीए का ब्यौरा

क्र म सं.	परियोजना का नाम / ऋण लेने वाले का नाम	स्थान	क्षमता	डेवलपर का नाम (ठेकेदार)	परियोजना की लागत	कर्ज (दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण) (करोड़ रु. में)	टैरिफ	ऋणदाता संस्थाओं के नाम	एनपीए / संकटग्रस्त होने का कारण
1	एस्टोनफिल्ड सोलर (गुजरात) प्रा. लि.	तालुका - समी, जिला - पाटण, गुजरात	11.5 मेगावाट	मेसर्स शिनाईज़ेर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा. लि.	139.83 करोड़ रु.	25.85	वर्ष 2024 तक 9.98 रु. प्रति यूनिट और वर्ष 2024 के पश्चात वर्ष 2037 तक 7 रु. प्रति यूनिट	1.) पीएफसी 2.) एक्जिम बैंक	लगातार आई बाढ़ ने संयंत्र को नुकसान पहुंचाया है और उत्पादन क्षमता कम की है।
2	एमपी पावर कंपनी लि.	नायडूपेट, आन्ध्र प्रदेश	20 मेगावाट	टीजी: मेसर्स क्विंगडाओ जिनिंग पावर इंजीनियरिंग कं. लि. एवं एसोसियेटड पावर टीम (पी) लि. बोइलर: मेसर्स केथार वेसल्स प्रा. लि.	76.06 करोड़ रु.	24.88	प्रथम वित्त वर्ष का टैरिफ - निर्धारित लागत: 1.56 रु. प्रति यूनिट एवं परिवर्ती लागत: 1.10 रु. प्रति यूनिट (पीपीए के अनुसार)	1.) पीएफसी 2.) आईओबी	1.) खोई की अपर्याप्तता 2.) कोयले का वैकल्पिक इंधन के रूप में उपयोग करने के लिए अनुमोदन की कमी
3	नरसिम्हा स्वामी सोलर जनरेशन्स (प्रा.) लि.	जिला - अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	5 मेगावाट	स्टर्लिंग एंड विल्सन	43.34 करोड़ रु.	16.63	5.86 रु. प्रति यूनिट	1) पीएफसी 2.) इंडियन ओवरसीज बैंक	1) अपर्याप्त परियोजना धनापूर्ति 2) उत्पादन की तुलना में पीपीए के तहत कम टैरिफ की वसूली (परियोजना लागत)
4	स्वर्णज्योति एग्रोटेक (ओक्टेंट)	संभलपुर, ओडीशा	10 मेगावाट	चीमा बोइलर्स लि.	57.51 करोड़ रु.	24.55	5.89 रु. प्रति यूनिट	1.) पीएफसी 2.) आरईसी	1. इक्विटी निवेश में असमर्थता 2. ऋण संयोजन मुद्दे
5	ओम शक्ति रेनर्जीस लि.	चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	6 मेगावाट	आईएसजीईजी जॉन थॉमसन (बॉइलर एवं सहायक सामग्री आपूर्तिकर्ता)	21.28 करोड़ रु.	8.92	प्रथम वर्ष के लिए 2.25 रु. प्रति यूनिट (वर्ष 1994-95 आधार वर्ष के रूप में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ोत्तरी के साथ 2.25 रु. प्रति यूनिट और इसे वर्ष 2003-04 तक प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल पर संशोधित करना होगा। वर्ष 2003-04 के आगे, एपी ट्रान्सको की खरीद	1.) पीएफसी - प्रमुख बैंक 2.) एसबीआई - ओटीएस के द्वारा बाहर हो गया	1.) बायोमास की अनुपलब्धता और दामों में बढ़ोत्तरी 2.) एपट्रान स्को के साथ पीपीए के संबंध में टैरिफ और एरियर के मामले तथा निधियां जुटाने में प्रमोटर की असमर्थता। 3.) भारी वर्षा और चक्रवात ने भी कार्यान्वयन के

							कीमत का निर्धारण एपीईआरसी द्वारा किया जाएगा)		बाद के प्रचालन को प्रभावित किया।
6	आर एस इंडिया विंड एनर्जी प्रा. लि.	तालुका - पाटन, जिला - सतारा, महाराष्ट्र	41.25 मेगावाट	मेसर्स वेस्टास विंड टेक्नॉलॉजी (आई) प्रा. लि.	293.34 करोड़ रु.	223.77	5.07 रु. प्रति यूनिट	पीएफसी	1.) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. की ओर से विद्युत उत्पादन के भुगतान की प्राप्ति में देरी 2.) पवन टर्बाइन में तकनीकी समस्या के कारण वार्षिक उत्पादन कम रहा।
7	व्यसस्खा सोलर एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लि.	जिला - चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	2 मेगावाट	मेसर्स सेसोला पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (ठेकेदार)	13.68 करोड़ रु.	8.86	प्रत्येक दो वर्ष पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 7.9 रु. प्रति यूनिट (पीपीए के अनुसार)	पीएफसी	एपी डिस्कॉम से अपेक्षित ऊर्जा प्रभार (कुल ऊर्जा शुल्कों का 30 प्रतिशत) के भुगतान में देरी
कुल योग						**333.46**			

अनुबंध - तीन

रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) की नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र से सम्बंधित गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियो का ब्यौरा:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता	डेवलपर का नाम	परियोजना की लागत (करोड़ रु. में)	ऋण (करोड़ रु. में)	टैरिफ	एनपीए/ संकटग्रस्त होने के कारण
1	1 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	1 मेगावाट	अमृत जल वेंचर्स लि.	17.8	12.42	17.91 रु. पीयू	एपी डिस्कॉम से राशि प्राप्त होने में विलंब
2	वाशन, जिला-सांगली, महाराष्ट्र में 10 मेगावाट की पवन परियोजना	महाराष्ट्र	10 मेगावाट	ग्लोबल मेटल एंड एनर्जी प्रा. लि.	67.27	47.09	5.56 रु. पीयू	एमएसईडीसीएल से राशि प्राप्त होने में विलंब

इसके अलावा, चार परियोजनाओं, जहाँ आरईसी खाते में शत-प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता	डेवलपर का नाम	परियोजना की लागत (करोड़ रु. में)	ऋण (करोड़ रु. में)	टैरिफ	एनपीए/ संकटग्रस्त होने के कारण
1	एटीएन इंटरनेशनल लि.	क्याथार, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	5 मेगावाट	एटीएन अरिहन्त इंटरनेशनल लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	क्लासिक ग्लोबल लि.	क्याथार, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	2.5 मेगावाट	क्लासिक ग्लोबल सिक्योरिटीज लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	लाइनेक्स इंडिया लि.	क्याथार, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	2.5 मेगावाट	लाइनेक्स इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सिलिकॉन वैली इन्फोटेक लि.	क्याथार, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	2.5 मेगावाट	सिलिकॉन वैली इन्फोटेक लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुबंध- चार

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 9 अप्रैल, 2021 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1500 बजे से 1630 बजे तक हुई।

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
3. डा. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री किशन कपूर
5. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
6. श्री अशोक महादेवराव नेते
7. श्री प्रवीन कुमार निषाद
8. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
9. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
10. श्री एस. सी. उदासी

राज्य सभा

11. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
12. श्री मुजीबुल्ला खान
13. डॉ सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

1. श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी	सचिव
2. श्री अनिरुद्ध कुमार	अपर सचिव
3. श्री भानु प्रताप यादव	संयुक्त सचिव
4. श्री अमितेश कुमार सिन्हा	संयुक्त सचिव
5. श्री दिनेश दयानंद जगदले	संयुक्त सचिव
6. डॉ पी.सी. मैथानी	वैज्ञानिक - जी

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय

7. श्री जतिंद्र नाथ स्वाई	सीएमडी, एसईसीआई
8. श्री प्रदीप कुमार दास	सीएमडी, इरेडा

2. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

तत्पश्चात् साक्षियों को बुलाया गया ।

3. तत्पश्चात् माननीय सभापति ने बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हे सूचित किया कि यह बैठक 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय पर संक्षिप्त जानकारी लेने के लिए बुलाई गई है । सभापति महोदय ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निर्देशों 55 (1) और 58 के प्रावधानों से भी अवगत कराया।

4. चर्चा के दौरान, इस विषय पर एक पावर-पॉइंट प्रस्तुति दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण का परिदृश्य, ऋण पूंजी के स्रोत, इक्विटी पूंजी के स्रोत, नियामक ढांचा, विनिवेश और एफडीआई, वाणिज्यिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्तपोषण के चरण, नवीकरणीय ऊर्जा के

वित्तपोषण हेतु उपलब्ध नीतिगत उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण को बढाने में इरेडा की भूमिका, नवीकरणीय क्षेत्र में जोखिम और वित्तीय बाधाएं, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के सरकारी उपाय आदि पर भी जानकारी दी गई ।

5. समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की:

(क) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक विनिवेश की तुलना में वास्तविक निवेश की मात्रा;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अपेक्षित निवेश को जुटाना सम्भव बनाने के लिए मंत्रालय की कार्ययोजना ;

(ग) पीपीए के रद्दीकरण/रि-निगोशिएशन से संबंधित मुद्दे;

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को बकाए का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इरेडा द्वारा उठाए गए कदम;

(ङ) पीपीए के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब से संबंधित मुद्दे;

(च) डिस्कॉम की साख से संबंधित मुद्दे;

(छ) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां;

(ज) इरेडा की पुस्तकों में एनपीए से संबंधित मुद्दे;

(झ) राज्यों को अपने तापीय विद्युत उत्पादन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा का सहारा लेने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत;

(ञ) नवीकरणीय खरीद दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता;

(ट) डेवलपर्स को ऋण देने के लिए बैंकों की अनिच्छा से संबंधित मुद्दे;

(ठ) सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में पारदर्शी और व्यावहारिक नीति बनाने की आवश्यकता।

6. सदस्यों ने इस विषय से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण मांगे और मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इनके उत्तर दिये। समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर दस दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनका उनके द्वारा तत्काल उत्तर नहीं दिया गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हो गई।

** *इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।*

अनुबंध - पांच

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 27 जुलाई, 2021 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1545 बजे से 1700 बजे तक हुई।

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्रीमती साजदा अहमद
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
5. श्री हरीश द्विवेदी
6. श्री किशन कपूर
7. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री एस. सी. उदासी
12. श्री पी. वेलुसामी

राज्य सभा

13. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
14. श्री मुजीबुल्ला खान
15. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
16. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
17. डॉ सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

1. श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी	सचिव
2. श्री अनिरुद्ध कुमार	अपर सचिव
3. श्री वी. ए. पटवर्धन	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
4. श्री अमितेश कुमार सिन्हा	संयुक्त सचिव
5. श्री दिनेश दयानंद जगदले	संयुक्त सचिव

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय

6. श्री प्रदीप कुमार दास	सीएमडी, इरेडा
7. श्री जतिंद्र नाथ स्वाइ	सीएमडी, एसईसीआई

2. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

तत्पश्चात् साक्षियों को बुलाया गया।

3. तत्पश्चात् माननीय सभापति ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया और उन्हे सूचित किया कि यह बैठक 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय पर साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई है। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि चूंकि सीएमडी, पीएफसी और सीएमडी, आरईसी को उनके अनुरोध पर बैठक में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है, इसलिए समिति अगली बैठक में इस विषय पर उनके साक्ष्य लेगी। सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निर्देश 55 (1) और 58 के प्रावधानों से भी अवगत कराया।

4. समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की :

(क) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थानों के बीच अनिच्छा और विश्वास की कमी के कारण;

(ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपये की सीमा बढ़ाने की जरूरत;

(ग) एनपीए और परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित आरबीआई की अधिसूचना के अनुपालन में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के एनपीए बनने के बढ़ते जोखिम से संबंधित मुद्दे;

(घ) इरेडा की पुस्तकों में एनपीए से संबंधित मुद्दे;

(ङ) डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को बकाया भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दे.

5. सदस्यों ने इस विषय से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण मांगे और मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इनके उत्तर दिये। समिति ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और आईआरईडीए के प्रतिनिधियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनका उनके द्वारा तत्काल उत्तर नहीं दिया गया ।

6. समिति ने 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय के संबंध में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (आईआरईडीए) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य 5 अगस्त, 2021 लेने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हो गई।

** *इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं हैं।*

अनुबंध-छह

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 05 अगस्त, 2021 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1545 बजे से 1700 बजे तक हुई।

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2. श्रीमती साजदा अहमद
3. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
6. श्री संजय जाधव
7. श्री किशन कपूर
8. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
9. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री एस. सी. उदासी

राज्य सभा

12. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
13. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
14. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षी

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1.	श्री प्रदीप कुमार दास	सीएमडी, इरेडा
2.	श्री रविंदर सिंह ढिल्लन	सीएमडी, पीएफसी
3.	श्री संजय मल्होत्रा	सीएमडी, आरईसी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

4.	श्री दिनेश दयानंद जगदले	संयुक्त सचिव

विद्युत मंत्रालय

5.	श्री तन्मय कुमार	संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया और उन्हे बताया कि यह बैठक 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय पर इरेडा, पीएफसी और आरईसी के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई है । सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 (1) और 58 के प्रावधानों से भी अवगत कराया।

3. चर्चा के दौरान, सीएमडी, आईआरडीए द्वारा इस विषय पर एक पावर-प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31-03-2021 को एनपीए की स्थिति, एनपीए के कारणों, पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान एनपीए का क्षेत्रवार ब्रेक-अप, एनपीए पोर्टफोलियो के लिए वसूली कार्यों का विवरण, एनसीएलटी मामलों की वर्तमान स्थिति, 30.06.2021 को एनपीए का प्रवाह (अनंतिम) आदि का ब्यौरा दिया गया था।

4. पीएफसी के सीएमडी द्वारा एक और पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले 5 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा मिक्स, ऋण पुस्तक, स्वीकृतियो, गैर-निष्पादनकारी आस्तियो, ब्याज दर, नवीकरणीय ऊर्जा ब्याज दर कम करने के लिए पहल, संक्षेप में नवीकरणीय ऊर्जा का वित्तपोषण, नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु लक्ष्य, आरईसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हाल ही के कदम, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा विकास में बाधाएं, वित्त की लागत को कम करने के लिये आवश्यक सहायता आदि का ब्यौरा दिया गया।

5. समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इरेडा, पीएफसी और आरईसी के प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओ पर विचार-विमर्श किया;

(क) इरेडा की पुस्तकों में एनपीए से संबंधित मुद्दे;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पीएफसी और आरईसी के एक्सपोजर की सीमा;

(ग) पिछले तीन वर्षों में पीएफसी और आरईसी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋण और ब्याज दरो में कटौती की सीमा तथा संबंधित बैलेंस शीट पर इसका प्रभाव ;

(घ) डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को बकाया भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दे;

(ङ) बकाए के भुगतान में देरी की समस्या के समाधान के लिए देर से भुगतान करने पर अधिभार लागू करने की आवश्यकता;

(च) पीपीए को रद्द करने/रि-निगोशिएशन से संबंधित मुद्दे;

(छ) टैरिफ को लागू करने में देरी से संबंधित मुद्दे;

(ज) डिस्कॉम द्वारा क्रेडिट पत्र जैसे भुगतान सुरक्षा उपायों का अनुपालन न करने से संबंधित मुद्दे;

(झ) उधारदाताओं, डेवलपर्स और डिस्कॉम के बीच विवाद के समाधान के संबंध में प्रणाली की आवश्यकता ।

(ञ) नवीकरणीय खरीद दायित्व की तर्ज पर नवीकरणीय वित्त दायित्व के कार्यान्वयन की संभावना ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान नवीकरणीय/स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक निश्चित प्रतिशत का निवेश कर सके।

6. माननीय सदस्यों ने इस विषय से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण मांगे और आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी के प्रतिनिधियों ने उनके उत्तर दिये। समिति ने तीनों सीपीएसयू के प्रतिनिधियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनका उनके द्वारा तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सका।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हो गई।

अनुबंध-सात

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को समिति कमरा संख्या `111` संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1030 बजे से 1100 बजे तक हुई ।

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

2 श्री हरीश द्विवेदी
3 श्री किशन कपूर
4 श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5 डॉ. ए.चेल्लाकुमार
6 श्री सुनील कुमार मंडल
7 श्री उत्तम कुमार रेड्डी
8 श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
9 श्री जय प्रकाश
10 श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
11 श्री एस. ज्ञानतिरावियम
12 श्री एस. सी. उदासी

राज्य सभा

13 श्री टी.के.एस. एलंगोवन
14 श्री राजेन्द्र गहलोत
15 श्री मुजीबुल्ला खान
16 श्री एस. सेल्वागनबेथी
17 श्री संजय सेठ
18 डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
19 श्री के.टी.एस. तुलसी

सचिवालय

1	श्री आर.सी. तिवारी	अपर सचिव
2	श्री आर के सूर्यनारायणन	निदेशक
3	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात्, समिति ने 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन को विचार करने और स्वीकार करने हेतु लिया।

3. प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर चर्चा करने के बाद, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदन को बगैर किसी संशोधन/आशोधन के स्वीकार कर लिया। समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।